


लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 17. 5. 90

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र घोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 मई, 1990

में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 1990 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन जांचा।	8
	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 1990-91	16
4-	अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल्स लि० की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में जांचित	17
5-	अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	42
6-	रम्युजमेन्ट पार्क को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	48
7-	स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।	52
8-	कन्याण करोति संस्था को नेत्र चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	57
9-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स-शीट वर्ष 1987-88	61
10-	टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति को रोमती नगर योजना के अर्जित भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	81
11-	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित भवनों में लाभोद्योग न लिये जाने के सम्बन्ध में।	86
12-	नीवू बाग़ व्यवसायिक केन्द्र में सीताम किये गये आवास के सम्बन्ध में।	87
13		
14		
15-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

21/5
 3-1987
 3-1987
 21/5

21/5
 21/5

details to be furnished
 Postponed

=====

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: । र

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
25 जनवरी, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
25 जनवरी, 1990 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु
संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 1990

जो अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में हुई

का कार्यवृत्त

उपस्थित:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | श्री रमेश चन्द्र,
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री दिनेश राय,
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, लखनऊ। | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री आर०के०शर्मा,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग। | सदस्य |
| 4. | श्री आर०रम०श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग। | सदस्य |
| 5. | श्री अजित सेठ,
ज़िलाधिकारी, लखनऊ। | सदस्य |
| 6. | श्री आशुतोष त्रिपाठी,
मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ। | सदस्य |
| 7. | आवास आयुक्त के प्रतिनिधि
श्री एस०के०वर्मा,
अधीक्षण अभियन्ता,
आवास विकास परिषद, लखनऊ। | विशेष आमन्त्री |
| 8. | श्री रम०र०रम०ज्ञान,
विशेष आमन्त्री | विशेष आमन्त्री |
| 9. | श्री एस०रम०जाफ़र,
महा प्रबन्धक, जल संस्थान,
लखनऊ। | विशेष आमन्त्री |

अन्य उपस्थित:

श्री दिवाकर त्रिपाठी,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सचिव

विषय संख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 1989 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय:

उपस्थित में श्री आर०रम०श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, वित्त को अनुपस्थित दर्शाते हुए श्री आर०के०श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, उद्यम ब्यूरो को उपस्थित मानते हुए, इस संशोधन के साथ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 1989 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

- विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 1989 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
- निर्णय: आख्या का अवलोकन किया गया।
- विषय संख्या: 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 की बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में।
- निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 की बैलेन्स-शीट के सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया जिसे निम्न प्रेसाईजाबज़रवेशन सहित अनुमोदित किया गया:-
- §1§ नगर महापातिका के विकास विंग को प्राधिकरण में हस्तान्तरण को अतिशीघ्र अन्तिम रूप प्रदान किया जाय।
- §2§ अभियन्त्रण स्टोर यदि कार्य सर्वे योजना वार नहीं है तो उसका वर्तमान स्वरूप देखकर इसे कार्य सर्वे योजना वार रखा जाये।
- §3§ टेलीफोन सर्वे वाहनों के अनुरक्षण पर अत्यधिक व्यय पर चिन्ता व्यक्त की गई और इस पर नियन्त्रण के निर्देश दिये गये।
- §4§ वर्ष 1986 में विधिक व्यय मिल दिखाया गया है जबकि वर्ष 1987 में ₹0 3-00 लाख का व्यय दिखाया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि पूरे वर्ष 86 में बिलों का भुगतान नहीं किया गया और लम्बित रहा जो कि आपत्तिजनक है।
- §5§ उद्यानों पर बहुत अधिक व्यय किया गया है और फिर भी उनकी सामान्य स्थिति अच्छी नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है।
- §6§ वर्ष 1987-88 की बैलेन्स-शीट 15 फरवरी, 1989 तक पूर्ण कर ली जाय और वर्ष 1988-89 की बैलेन्स-शीट 31-3-90 तक पूरी हो जाये। दोनों ही बैलेन्स-शीट बनाकर बजट के साथ प्रस्तुत की जायें।
- विषय संख्या: 4 रिफ्रूह-र-ग्राम क्लब बहुसुण्डीय आवासीय योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निम्नांकित निर्देश दिये गये:-
- §1§ क्लब के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके पुरानी बिल्डिंग कालोनी के क्लब के रूप में परिवर्तित की जाय।
- §2§ शासन से पट्टा की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- §3§ पर्ट-चार्ट बनाकर समय के अन्दर प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय।
- विषय संख्या: 5 इडको से आपरेशनल लोन लेने हेतु परिचालित प्रस्ताव।
- निर्णय : विचारोपरान्त परिचालित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या: 6 रजनी सण्ड, रायबरेली रोड आवासीय योजना।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि इसका डिमांड सर्वे करा लिया जाय।

- विषय संख्या: 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राधिकरण कार्य हेतु निजी वाहन उपयोग करने की दशा में मोटर कार के लिये रु0 400/- तथा मोटर साइकिल/स्कूटर के लिये रु0 175/- प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या: 8 ग्राम अमौसी क्षेत्र में खसरा सँ0: 1314,1315,1316,1323,1325,1328, 1332,1349,1369 तथा 1371 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम डिपो के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इक्सप्लोसिव अधिकारी एवं अन्य समस्त सम्बन्धित विभागों से भी अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।
- विषय संख्या: 9 कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित 78, गौतम बुद्ध मार्ग पर निर्मित कास्पलेक्स के प्रस्तुत संशोधित मानचित्र पर स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों ने चाहा कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश की आज्ञा प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही हो।
- विषय संख्या: 10 शारदा कैनाल रेलवे लाइन तथा लखनऊ-कानपुर नेशनल हाई-वे अमौसी डिस्ट्रीब्यूटरी क्षेत्र की 1588.77 एकड़ भूमि की योजना के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त उप-समिति पुर्नगठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य नामांकित किये गये:-

§1§ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

§2§ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि।

§3§ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि।

यह उप-समिति मामले का परीक्षण करके अपनी आज्ञा शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

- विषय संख्या: 11 मेसर्स अलीस इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन की भूमि संख्या:36§स§ को उजरियों व आवासीय योजना से मुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर विचार।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। साथ ही समायोजन समिति हेतु निम्नांकित सदस्य नामांकित किये गये:-
- §1§ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
§2§ मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
§3§ प्रभारी अधिकारी (अर्जन), लखनऊ विकास प्राधिकरण।
§4§ योजना से सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी।
- उक्त समायोजन समिति समायोजन सम्बन्धी समस्त मामलों पर विचार करके अपनी सँस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
- विषय संख्या: 12 प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नए शासनादेश के अनुसार मामले का परीक्षण करके सीलिंग की रिपोर्ट माँग ली जाय तथा आगामी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
- विषय संख्या: 13 अपर इन्डिया कृपर पेपर मिल्स लिमिटेड कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आगामी।
- निर्णय: प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 14 मेसर्स अन्सल द्वारा किये जाने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मेसर्स अन्सल के प्रतिनिधि से बात करके कोई विकल्प निकाल लें।
- विषय संख्या: 15 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद लखनऊ को अतीर्ण योजना में आवंटित भूमि में टोकेन लीजुरेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जो सम्बन्धित विभाग सबसिडी दिलाना चाहता है वह व्यय स्वयं वहन करे। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

- विषय संख्या: 16 राज्य सम्पत्ति विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ को आवंटित भूमि/भवनों के सम्बन्ध में टोकेन लीज़रेन्ट लिये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 17 प्रस्तावित लालबागु कामर्शियल/आवासीय योजना के अर्न्तगत स्थित भू-भाग पर भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह मामला भूमि अर्जन संबन्धी योजनाओं के विक्षेपण हेतु गठित उप-समिति के समक्ष रखा जाय।
- विषय संख्या: 18 नैपियर रोड भाग-3 योजना में प्रस्तावित भवनों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने एवं योजना पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि यह मामला भी भूमि अर्जन योजनाओं हेतु गठित उप-समिति के समक्ष रखा जाय।
- विषय संख्या: 19 ला-प्लास योजना में 144 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह देव लिया जाय कि 10 टन स्टील कैसे लग रही है। इसे मुख्य अभियन्ता, हाउसिंग बोर्ड से चेक करा लिया जाय तथा रकज़ीक्युटेड क्वान्टिटी का रक चार्ट तैयार किया जाय तथा अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर निर्णय लिया जाय।
- विषय संख्या: 20 लखनऊ विकास प्राधिकरण की लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन मामलों के लिये गठित उप-समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आस्था प्रस्तुत की जाय।

अनुपूरक विषय

- अनु०विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किराये के भवनों के आवंटियों,जिनके द्वारा 1/4 धनराशि जमा कर दी गयी है तथा भवन क्रय करना चाहते हैं, के सम्बन्ध में विचारार्थ आस्था।
- निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर विशेष सचिव, आवास मामले का शीघ्र ही परीक्षण कराकर निर्णय करा दें।
- अनु०विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना में रेशबागु,अलीगंज इकुसी रोड शहर के भीतरी भाग तथा गोमती नगर में वर्ष 1984 या उसके पूर्व में पंजीकृत व्यक्तियों जिन्हे अभी तक कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है,उन्हे अन्य योजनाओं, सीतापुर रोड, कानपुर रोड,शारदा नगर में लाटरी में शामिल करने के सम्बन्ध में।

- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनु0 विषय संख्या: 3 अलीगंज योजना के अर्न्तगत सेक्टर ए, बी, ई एवं सी/एस में आवन्तियों को कब्जा न दिये गये भूखण्डों के आवन्तियों को विकास प्राधिकरण की गोमती नगर / सीतापुर रोड/ कानपुर रोड/शारदा नगर योजनाओं में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि मात्र कानपुर रोड योजना, शारदा नगर तथा सीतापुर रोड योजना में 200 वर्ग मीटर के भूखण्डों हेतु आफर भेज कर सहमति लेकर कार्यवाही की जाय।
- अनु0 विषय संख्या: 4 उजरियोंव आवासीय योजना भाग-2 में स्थित माँ भगवती ग्रामीण औद्योगिक समिति की भूमि एवं निर्माण को समायोजित करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह मामला समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
- अनु0 विषय संख्या: 5 कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित 78, गौतम बुद्ध मार्ग पर निर्मित कायस्थलेख के प्रस्तुत संशोधित मानचित्र पर स्वीकृति/कार्यवाही किये जाने विषयक।
- निर्णय : मूल कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या:9 पर निर्णय लिया जा चुका है।
- अनु0 विषय संख्या: 6 टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2 (प्लेन-3) में मौजूा मेहदीगंज की अर्जित भूमि ससरा संख्या:527 की आंशिक भूमि जो योजना के ले-आउट में सम्मिलित नहीं है; तथा ससरा संख्या:528 की आंशिक भूमि जो अर्जन से अवमुक्त है,के आदान प्रदान के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनु0 विषय संख्या: 7 विभिन्न योजनाओं हेतु डडको से ज़ण लेने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
- निर्णय: प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनु0 विषय संख्या: 8 अलीगंज में कार्यशील मीठलाओं के लिये निर्मित छात्रावास को इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

अन्य विषय:

उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

- §1§ उपाध्यक्ष ने बताया कि ताज होटल को आवासीय भूखण्ड के साथ रिजेशनल उपयोग हेतु 25 एकड़ भूमि लाइसेन्स पर दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण आवास सचिव को सन्दर्भित किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि उत्तर की प्रतीक्षा कर ली जाय।
- §2§ अप्पू घर {अप्युजमेन्ट पार्क} स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सारे पहलुओं का परीक्षण करके एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।
- §3§ ला-प्लास योजना में निर्मित किये जा रहे भवनों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि दोनों ब्लॉकों में अवशेष कार्य राजकीय निर्माण निगम से पूर्ण करा लिया जाय।

४०/-
§दिवाकर त्रिपाठी§
सचिव

४०/-
§ दिनेश राय §
उपाध्यक्ष

युक्ति की गई
अनुमोदित

४०/-

§ रमेश चन्द्र §

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 25 जनवरी, 1990
 =====
 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
 =====

विषय संख्या	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 की बैलेंस शीट के सम्बन्ध में ।	प्रेक्षाओं सहित अनुमोदित किया गया है ।	निर्देशानुसार वांछित सूचना के साथ बैलेंस शीट पुनः प्रस्तुत है।
4.	रिफ़ाह-ए-आम क्लब बहुखण्डीय आवासीय योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि क्लब के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके पुरानी बिल्डिंग क्लब के रूप में परिवर्तित की जाय, शासन से पददे की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा पर्तघाट बनाकर समय के अन्दर निर्माण पूर्ण किया जाय ।	निर्देशानुसार क्लबके अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है। उनकी इच्छानुसार बैठक करके अंतिम निर्णयलिये जाने के बाद पर्तघाट आदि बनाने की कार्यवाही की जायेगी । भूमि के सम्बन्ध में नज़ूब विभाग से पददा हेतु प्रयास जारी है ।

क्रमशः-----

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 5. | हडको से आपरेभनल लोन लेने हेतु परिचालित प्रस्ताव । | परिचालित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई । | प्रस्ताव की प्रति हडको को भेज दी गयी है । |
| 6. | रजनी खण्ड राय बरेली रोड आवासीय योजना । | प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि इस पर डिमाण्ड सर्वे करा लिया जाय । | निर्णयानुसार डिमाण्ड सर्वे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । |
| 7. | लखनऊविकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में । | विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् ल0वि0प्रा0 के अधिकारियों /कर्मचारियों को प्राधिकरण कार्य हेतु निजी वाहन उपयोग करने की दशा में मोटर कार के लिये ₹0400/=तथा मोटर साइकिल/स्कुटर के लिये ₹0-175/=प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी । | निर्णयानुसार प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जा रहा है । |
| 8. | ग्राम अभौसी क्षेत्र में खसरा संख्या: 1314, 1315, 1316, 1323, 1325, 1328, 1332, 1349, 1369 तथा 1371 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम डिपो के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में । | विचारोपरान्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इक्सप्लोसिव अधिकारी एवं अन्य सम्स्त सम्बन्धित विभागों से भी अनापेक्षित प्राप्त कर ली जाय । | पक्ष द्वारा भवन चित्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं टेकनिकल रिपोर्ट आ जाने पर उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी । |

9. कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित 78, गौतम बुद्ध मार्ग पर निर्मित काम्पलेक्स के प्रस्तुत संगोपित मानचित्र पर स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।
विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों ने चाहा कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० की आख्या प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही हो ।
निर्णयानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र० को दिनांक: 25.4.90 को राय प्राप्त करने हेतु पत्र भेज दिया गया है ।
10. शारदा कैनाल रेलवे लाइन तथा लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे अमौसी डिस्ट्रीब्यूटरी क्षेत्र की 1588.77 एकड़ भूमि की योजना के सम्बन्ध में ।
विचारोपरान्त उप-समिति पुनर्गठित की गई ।
प्रस्ताव पुनः रखा जा रहा है ।
11. मैसर्स अलीस इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन की भूमि संख्या: 368/स१ को उजरियाँ व आवासीय योजना से सम्बन्धित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार ।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । समिति अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करे ।
समायोजन समिति के समक्ष दिनांक: 24.4.90 को प्रस्तुत किया गया ।
P. K. Singh
12. प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में ।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नये शासकदेश के अनुसार मामले का परीक्षण करके सीलिंग की रिपोर्ट मांग ली जाय तथा आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।
सीलिंग से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
13. अपरइंडिया कूपर पेपर मिल्स लि० कं० की अर्जित भूमि के संबंध में विचारार्थ आख्या ।
प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
प्रस्ताव रखा जा रहा है ।
क्रमशः ---

Obstruction
Kudco
Gpy
14.

मेसर्स अन्सल द्वारा किये जाने वाले ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित ।

के.एस.जी. के. 21.3.90

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, मेसर्स अन्सल के प्रतिनिधि पत्रांक 142/सी.ए./पी.ए./90 दिनांक से बात करके कोई विकल्प निकालें ।

30.5.90 M. Green. 21.3.90
मेसर्स अन्सल को इस कार्यालय के पत्रांक 142/सी.ए./पी.ए./90 दिनांक 20.2.90 द्वारा सूचित किया जा चुका है ।

15. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, लखनऊ को अलीगंज योजना में आंटित भूमि में टोकेन लीजरेंट लिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग को निर्णय इस कार्यालय जो सम्बन्धित विभाग सबसिडी दिलाना के पत्र सं03038/प्रापर्टी/सं.स. दिनांक: याहता है वह व्यय स्वयं वहन करें । 8.3.90 द्वारा सूचित किया जा 80वि0प्रा0 द्वारा किसी प्रकार की चुका है ।
फूट दिया जाना संभव नहीं है ।

16. राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ को आंटित भूमि/भवनों के सम्बन्ध में टोकेन लीजरेन्ट लिये जाने से सम्बन्धित ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

राज्य सम्पत्ति विभाग को पत्र संख्या: 3038/प्रापर्टी/सं.स. दिनांक: 16.3.90 द्वारा सूचित किया जा चुका है ।

यु.एस.जी. के. 21.3.90
यु.एस.जी. के. 21.3.90

प्रस्तावित लालबाग कामर्शियल/आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित भू-भाग पर भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अभी तक उपसमिति की बैठक नहीं हो यह मामला उप समिति की बैठक के पाई है ।
समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

नैपियर रोड भाग-3 योजना में प्रस्तावित भवनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने एवं योजना पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि अभी तक उप-समिति की बैठक नहीं यह मामला भी भूमिअर्जन योजनाओं हो पायी है ।
हेतु गठित उप-समिति के समक्ष रखा जाय ।

अनु० वि० सं०- 2

ल० वि० प्रा० की 20 सूत्री कार्यक्रम योजना में रेशाबाग, अलीगंज, कुर्सी रोड, शहर के भीतरी भाग तथा गौमती नगर में वर्ष 1984 या उसके पूर्व में पंजीकृत व्यक्तियों जिन्हें अभी तक कोई सम्पत्ति अन्नन्तित नहीं की गई है, उन्हें अन्य योजनाओं, सीतापुर कानपुर रोड, शारदा नगर में लाटरी में शामिल करने के संबंध में।

-3

अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-ए., बी., ई., एवं सी/एस में आवंटियों को कब्जा न दिये गये भूखण्डों के आवंटियों को विकास प्राधिकरण की गौमती नगर/सीतापुर रोड/कानपुर रोड/शारदा नगर योजनाओं में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

-4

उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 में स्थित माँ भगवती ग्रामीण औद्योगिक समितिकी भूमि एवं निर्माण को समायोजित करने के सम्बन्ध में।

-5

कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित 78, गौतम बुद्ध मार्ग पर निर्मित कार्यालय के प्रस्तुत संशोधित मानचित्र पर स्वीकृति/कार्यवाही किये जाने विषयक।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

निर्णय लिया गया कि मात्र कानपुर रोड योजना, शारदा नगर तथा सीतापुर रोड योजना में 200 वर्गमीटर के भूखण्डों हेतु आफर भेज कर सहमति लेकर कार्यवाही की जाय।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह मामला समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

मूल कार्यवाही के प्रस्ताव सं०-9 पर निर्णय लिया जा चुका है।

निर्णयानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों से आफर मांगे गये हैं।

निर्णयानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों से आफर मांगे गये हैं।

समायोजन समिति की बैठक अभी तक नहीं हो सकी।

संशोधित मानचित्र स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र० लखनऊ

को पत्रादिनांक: 25.4.90 को भेज दिया गया है।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अनु०वि०सं०-6.

टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2
प्लॉट-38 में मौजा मेंहदीगंज की अर्जित
भूमि खसरा सं०527की आंशिक भूमि
प्लॉट योजना के ले-आउट में सम्मिलित
नहीं है तथा खसरा सं०-528की आंशिक
भूमि जो अर्जन से अवमुक्त है, के आदान
प्रदान के सम्बन्ध में।

7. विभिन्न योजनाओं हेतु हडको से ऋण
लेने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव
के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

8. अलीगंज में कार्यशील महिलाओं के लिये
निर्मित छात्रावास को इन्डियन
इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट को विक्रय
किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विचारोपरान्त विक्रय करने की
अनुमति प्रदान की गई।

अन्य विषय
=====

1. उपाध्यक्ष ने बताया कि ताज होटल
को ~~आवासीय~~ भूखण्ड के साथ
रिफ्रेनल उपयोग हेतु 25एकड़ भूमि
लाइसेंस पर दिये जाने सम्बन्धी
प्रकरण आवास सचिव को संदर्भित

क्रमशः -----

किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर की प्रतीक्षा कर ली जाय।

2. अष्ट घर {अम्बुजमेन्ट पार्क} स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सारे पहलुओं का परीक्षण करके एक स्वतः पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।
3. ला-प्लास योजना में निर्मित किये जा रहे भवनों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि दोनों क्लार्कों में अवरोध कार्य राजकीय निर्माण निगम से पूर्ण करा लिया जाय।

आवात सचिव से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य करने में अपनी असहमति व्यक्त की गई है।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल
आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 1990-91
xxxxxxxxxx

नामान्त निर्देशित/चक्रवर्ति
पु.ना.नियम 2000

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्यय
वित्तीय वर्ष 1990-91 अलग से संलग्न किया जा
रहा है।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 3.10.89 हेतु आख्या

विषय:- अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स लिमिटेड कम्पनी की
 अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या ।

सारांश:-

अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के समीप नजूल की 12.39 एकड़ भूमि जो पहले पर उक्त कम्पनी को दी गयी थी के अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1959 से की जाती रही है परन्तु न्यायालय के स्थान आदेशों के फलस्वरूप अभी तक उक्त भूमि पर कब्जा लक्ष्य विकास प्राधिकरण को नहीं मिल पाया है ।

इस सम्बन्ध में लक्ष्य विकास प्राधिकरण के तमह दिनांक: 9.4.88 की बैठक में विषय सं०-3 पर प्रस्तुत आख्या पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में पूर्ण तथ्यों से अवगत होते हुए एक पत्र शासन को अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स के तत्परक पत्रों के साथ भेज दिया जाये । कि इस मामले में शासन स्तर पर ही निर्णय लेकर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाये ।

इस निर्णय के अनुशासन में शासन को मामले की विस्तृत आख्या पत्रांक: एल०डी०ए०/ए०सी०/175 दिनांक: 26.4.88 द्वारा प्रेषित की गयी थी । जिसमें शासन से अनुरोध किया गया था कि लक्ष्य विकास प्राधिकरण द्वारा विगत कई वर्षों से लम्बित इस मामले में उचित निर्णय निर्गत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही को जा सकें ।

पुनः अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री के०एन० गोखले से विधि सम्बन्धि प्राप्त कर पुनः आग्रह किया गया कि उक्त विधिक राय के आधार पर तीव्र निर्णय लेकर उन्हें अंगत कराया जाये । लक्ष्य विकास प्राधिकरण के अधिकारता श्री उमेश चन्द्र से भी इस सम्बन्ध में राय प्राप्त की गयी । अतः यह आवश्यक हो गया कि शासन को पुनः इन दोनों विधिक सम्मतिपत्रों के अनुसार एक पत्र प्रेषित कर शासन से अनुरोध किया जाये कि अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित अर्जित भूमि के मामले में आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायें ।

शासनादेश सं०-4-1-654/11, 5.88-47एल./88 दिनांक: 2.7.88 द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तुत भूमि के अर्जन करने का प्रस्ताव लक्ष्य विकास

प्राधिकरण द्वारा ही किया गया था और उसी के आधार पर ही शासन द्वारा भूमि अर्जन की विज्ञापित जारी की गयी थी। अतः यदि विकास प्राधिकरण प्रश्नगत भूमि के अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापित में कोई परिवर्तन चाहता है तो मामले के सभी तथ्यों का विकास प्राधिकरण में रखकर ठोस प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें।

तत्पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लिख किया जा चुका है प्राधिकरण के अधिकता श्री उमेश चन्द्र ने अपनी सम्मति में यह मत व्यक्त किया है कि अर्जन के विरुद्ध कम्पनी ने जो रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की है, उसके प्राधिकरण के पक्ष में निर्णित होने की सम्भावना "ईविन" सम्मूह है। श्री उमेश चन्द्र ने यह भी कहा है कि इस मामले में कानूनी लड़ाई जो कि काफी लम्बे अरसे से चल रही है तथा भविष्य में भी चलने की सम्भावना को समाप्त करने एवं भूमि के विकास की दृष्टिगत रखते हुए तर्जुनक विकास प्राधिकरण द्वारा पेपर मिल कानोनी से समझौता का रास्ता अपनाया जाना हितकर होगा।

ऊपर इंडिया क्वेर पेपर मिल ने भी पूर्व न्यायमूर्ति श्री के. एन. गोयल की राय प्राप्त कर अपने पत्र दिनांक: 15.6.1988के साथ प्राधिकरण को भेजी है। उक्त राय प्रति संलग्न है। श्री गोयल ने अपनी राय में यह मत व्यक्त किया है कि अर्जन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये और जो भी वाद न्यायालयों में विचाराधीन है उन्हें पक्षों द्वारा न्यायालयों से हटा लिया जाय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980में दिये गये निर्देशानुसार जो ले-आउट प्लान पेपर मिल द्वारा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया है उसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय यह दोनों पक्षों के हित में होगा यदि दोनों पक्षों द्वारा आपत में समझौता कर लिया जाये।

यह विषय दिनांक: 7.7.88 को प्राधिकरण की बैठक के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया परन्तु समयाभाव के कारण यह विषय आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्थगित कर दिया गया। उक्त निर्णय के फलस्वरूप

यह विषय पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27.10.87 को विषय संख्या-16 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त एक उप समिति के गठन करने तथा उप समिति द्वारा छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय दिया गया।

उप समिति की बैठक आयोजित करने हेतु विभिन्न तिथियाँ निश्चित की गईं परन्तु डा० वी०एन० खन्ना तथा श्रीमती उमा त्रिपाठी जो उप समिति के सदस्य थे, समयाभाव के कारण वे किसी बैठक में भाग नहीं ले सके।

तथा बाद में उक्त दोनों सदस्य प्राधिकरण की सदस्यता से रिटायर हो गये । अतः प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति स्वतः भंग हो गई ।

चूँ कि इस अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित किये जाने की तिथि समीपित पर है । अतः अर इंडिया पेपर मिल की 12,39एकड़ अधिग्रहीत भूमि को उपरोक्त परिस्थितियों में अर्जन से मुक्त करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत भू-दिन्यास मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह विषय प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

OPINION

To The Director (Land Acquisition)
Lucknow Development Authority,
LUCKNOW

पृष्ठ नं०: 20

Sir, The Lucknow Development Authority and the Uppar India Paper Mills Ltd., Lucknow have been involved in litigation in respect of about 10 Bighas land since 1958. The question is to whether the said about 10 Bighas land was covered under the notifications issued under the U.P. Town Improvement Act for its housing scheme. The L.D.A. has lost in the Civil Court and a First Civil Appeal is pending in the High Court in which the L.D.A. is asserting that the said 10 Bighas land was included in the notifications issued under the U.P. Town Improvement Act. One cannot say as to what ultimately the decision would be after the decision of the High Court, the matter may be taken to the Supreme Court by the party not succeeding. The litigation since 1958 has been pending and may take one or two years. Realising this, it appears, notifications under Sections 4 and 6 read with Section 17(4) of the Land Acquisition Act were issued on 25.8.86 and 1.9.86 respectively in respect of about 19 Bighas land including the said about 10 Bighas. The Paper Mills have challenged the validity of these notifications and obtained stay order from the High Court. The issue of the notifications dated 25.8.86 and 1.9.86 show that the L.D.A. and the State Govt. have now changed their earlier stand that about 10 Bighas land was covered by the notification under the U.P. Town Improvement Act issued on 6.12.58 and 2.12.1958 under Sections 16 and 42, respectively.

The writ petition filed by the Paper Mills would take quite a good few years to be finally decided and during all this period houses etc. cannot be constructed and the same situation may continue as it obtained in 1958. The chances of success of the L.D.A. in the writ petition filed by the Paper Mills challenging the acquisition are slim. The L.D.A. and the State Govt., may instead of starting a legal battle, adopt a course that houses are constructed in accordance with the housing policy of the State Govt., and the L.D.A., and for this purpose settle the matter with the Paper Mills. The other writ petition

filed by the Paper Mills against the L.D.A. for the issue of a mandamus to sanction its plan would become infructuous, if the settlement with the Paper Mills is arrived, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Delay in the construction of houses, whatever be the reason, would add to the cost of construction of houses and would not benefit any party.

[Handwritten Signature]
Advocate,

In re

UPPER INDIA COUPER PAPER MILLS

CO. LTD.

QUERIST

OPINION

M/s. Upper India Couper Paper Mills Co. Ltd. (for short, the Paper Mill) is the lessee of certain Mazul land situated in Nishatganj. The lease was last renewed for 90 years from 1st April, 1942. Under the terms of the lease the ground rent is enhanced by fifty percent after every thirty years and accordingly the Paper Mills have been paying enhanced rent since 1st April, 1972. The lease will thus continue till 31st March, 2032. The lease does not place any restrictions on transfer. On the other hand the expression "lessee" has been defined in the lease as including his "assigns". The only restriction is that the lessee, his assign or transferee will not transfer his rights under the lease until he has paid all the arrears of rent due from him to the lessor on the date of such assignment or transfer. It is further provided that if the arrears of rent are not so paid, the assignee or transferee shall also be equally liable for the arrears of rent due on the date of such assignment or transfer.

2. The purpose of the lease includes construction of buildings thereon. The only restriction is that the lessee shall not without the previous consent in writing of the Nazul Officer, erect or suffer to be erected on any part of the leased premises any building other than and except the buildings thereby covenanted and already erected and will not without such consent make any alteration in the plan or elevation of the said buildings or make any subdivision of the leased premises so as to construct more than one building on a specified plot though a building may be shared by more than one person provided that such sharers shall be jointly and severally responsible to the Government for the lease rent.

3. In November-December 1958 notifications under sections 36 and 42 of the U.F. Town Improvement Act, 1916 were issued for acquisition of certain lands. Section 36 of the U.F. Town Improvement Act corresponds to section 4 of the Land Acquisition Act while section 42 of the Town Improvement Act corresponds to section 6 of the Land Acquisition Act. The Special Land Acquisition Officer gave an award on 31-12-73 holding the market value of the land to be Rs.1.05 per square foot.

4. The notifications under the U.F. Town Improvement Act were issued in pursuance of a housing scheme prepared by the then Improvement

Trust, Lucknow. The Improvement Trust was succeeded by the Nagar Mahapalika which in turn was succeeded by the Lucknow Development Authority under the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973. The development activities of the Nagar Mahapalika were transferred to the LDA under the said Act. Thus the LDA is the ultimate successor of the erstwhile Improvement Trust, Lucknow. It may be mentioned here that the old notifications under the Town Improvement Act continue to remain in force under the transitory provisions contained in section 59(e)(a) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, read with section 577(a) of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

5. In 1983, the LDA tried to take over the possession of certain land comprised in the Nazul lease of the Paper Mill, purporting to act under the said notifications under the Town Improvement Act.

6. The Paper Mill resisted the attempts of the LDA to take over possession, contending that no portion of the land comprised in ^{the} their Nazul lease was covered by the said notifications. The notification dated 6-12-1983 says in para 1 that the Lucknow Improvement Trust has framed a scheme called the "General Improvement and Rehousing Scheme - behind the Paper Mill, Outram Road". In the southern and western boundaries also some plots were mentioned which were described as plots "in possession of Paper Mills". The Paper Mill ^{ad} contending that the land
 which was the subject matter of the notifications

could not form part of the land held by the Paper Mills because what was notified was land behind the Paper Mills. It accordingly filed a writ petition no.6437 of 1983. This writ petition was dismissed on the ground of laches, but the High Court added that if the Paper Mill be right in its contention that its land was not covered by the notifications it was open to it to obtain relief through a civil suit.

7. Thereupon the Paper Mill filed a civil suit No.291 of 1983 in the Court of Civil Judge, Malhabad at Lucknow impleading the LDA and subsequently the State of U.P. and the Special Land Acquisition Officer also as defendants. This suit was decided on 20-4-85 by the Civil Judge who declared that the plaintiff could not be dispossessed from the disputed land by the defendants under the award dated 31-12-73. The defendants were restrained by perpetual injunction from dispossessing the plaintiff from the four water settling tanks falling in the Paper Mill campus situate in Nishatganj, Lucknow. The boundaries of this land were also specified in the decree passed by the Civil Judge.

8. The LDA filed First Appeal No.89 of 1985 against this decree. The State of U.P. and the S.L.A.O. however did not file any appeal and have been arrayed as proforma respondents in the First Appeal. No stay order was granted by the High Court at the instance of L.D.A. in this appeal.

9. It is undisputed that the Special Land Acquisition Officer has not yet taken possession of the disputed land and accordingly the LDA has also not been able to obtain possession thereof.

10. The First Appeal is still pending in the High Court. The main ground of appeal is that the finding of fact recorded by the Civil Judge is incorrect. The judgment of the Civil Judge shows that the Paper Mill was about a hundred years old and that four settling tanks were an essential part of the Mill. The plans filed by the defendants in the case and the copies of khasras filed by them did not show any such tanks in the plots sought to be acquired. The land was described in the notification as situated "behind" and Paper Mill. The plot numbers shown in the boundaries in the notification as in the possession of Paper Mill could also not be included in the land proposed to be acquired. Considering these circumstances the Civil Judge expressed the view that the settling tanks which were an integral part of the Paper Mill and without which the manufacturing process could not have physically possible were never included in the scheme of the Improvement Trust or in the notifications under sections 36 and 42. It does not appear that these findings suffer from any patent error, and the onus of displacing the findings before the High Court in the First Appeal will squarely lay on the LDA.

11. The Paper Mill had in the meantime taken a considerable amount of money on loan from the U.P. State Financial Corporation and had also executed a mortgage of their land and buildings in favour of the said Corporation. The Paper Mill having become a defaulter the Corporation started proceedings for taking possession over the mortgaged property and for sale of the same in exercise of their rights under section 29 of the State Financial Corporations Act, 1951. Aggrieved by this action the Paper Mill filed a writ petition No.2348 of 1979 against the Corporation. In that writ petition an interim order was passed by the High Court on 22-10-80 which permitted the Corporation to sell a block of land which was 2,10,650 square feet which the Court felt should suffice for realisation of the amount due from the Paper Mill to the Corporation. The Paper Mill undertook to deliver vacant possession of the said block inasmuch as some staff quarters, bungalows etc. were also situated on that land. It was also ordered that if the sale proceeds fell short of the demand of the Corporation it would be open to the Corporation to apply to the Court for permission to sell any part of the remaining mortgaged property. This order was slightly modified by another order dated 12-12-80 whereby certain other land was also permitted to be sold by the Corporation. The order dated 22-10-80 also permitted the Paper Mills to take necessary steps for ~~preparing a housing scheme~~ preparing a housing scheme so that the property may

by K.

realise an adequate price. Accordingly plans were submitted by the Paper Mill to the LDA in respect of a housing scheme and for permission to make constructions thereon. It seems that the Financial Corporation subsequently withdrew its recovery certificate on 10th March, 1981 and thereupon it also wrote a letter the Secretary, Local Self-Government on the same date recommending that necessary exemption/permission for sale of land may be accorded to the Paper Mill so that the Paper Mill may be able to repay the loan of the Corporation from out of the sale proceeds. Thus the Paper Mill's plans are pending with LDA since 22-12-80 when they were submitted in pursuance of the aforesaid two interim orders of the Hon'ble High Court.

12. The matter was examined in the Nazul department of the LDA, and the Nazul department, as appears from a certified copy of its report, recorded that it had no objection to the grant of permission/sanction of the said plans. No final orders of LDA were however issued even after this report as the LDA was disinclined to grant any such permission because according to it the land was included in their own housing scheme (though the Civil Court had not accepted this).

13. The Paper Mill in the month of May, 1986 filed a writ petition no. 3484 of 1986 praying that a writ of Mandamus be issued against the LDA for

according sanction to the plans pending with them since December, 1980 as the LDA being a statutory authority was bound to act in accordance with the provisions of the statute governing it.

14. The LDA, faced with the situation that its earlier plans to take possession over the disputed land on the basis of notifications of 1958 and 1959 had gone awry due to the decree of the Civil Court and non-grant of any order by the High Court staying the operation of that decree, submitted a proposal to the Government through the Collector Lucknow that fresh notifications under sections 4 and 6 read with section 17 of the Land Acquisition Act for purposes of L.D.A's housing scheme may be issued for acquisition of the land. The Collector had originally forwarded this proposal to the Government but later he wrote two letters asking the Government to refrain from acting on the proposal because the proposal suffered from some technical flaws and also because the LDA had failed to deposit large amounts of compensation in respect of lands already notified at its instance. It may be noted here that under a recent amendment 80% of the proposed compensation is required to be paid to the land owners even before possession is taken. In fact there were Government orders to the effect that where a Development Authority fails to deposit sufficient amounts of compensation for payment to the land owners no further land be acquired for it and accordingly the LDA was also

covered by this directive of the Government. However it appears that despite the Collector's rethinking on the subject as reflected in his two letters to the Government the letter went ahead with the original proposal and accordingly issued a notification under section 4 read with section 17 on 25-8-86, followed by a notification under section 6 read with section 17 on 1-9-86.

15. The Paper Mill again filed a writ petition no.6363 of 1986 against these notifications and the High Court granted stay order in its favour. This writ petition along with writ petition No.3494 of 1986 mentioned earlier are pending with the High Court and have been linked together.

16. In the meantime the Paper Mill came across a G.O.No.4480/37-2-86, dated 27th October, 1986 issued by the Awas Anubhag-2 to the Housing Commissioner and to all Administrators of Nagar Mahapalikas and to all Vice-Chairmen of Development Authorities and to Administrators of Municipal Boards in the State. This G.O., which is in Hindi, may be freely translated as follows :-

"In continuation of G.O.No.3461/37-84-29, dated 25-4-84 I am directed to state that various problems relating to land acquisition have been coming up before the Government. Among them an important question is, in what circumstances should land developed or purchased by cooperative societies or colonisers or builders be acquired or released.

h

to the concerned Development Authority for sanction then normally such land shall not be acquired. Here again it will be necessary that lay out plan should have been submitted to the Development Authority by the colonisers even before approval of the proposal for land acquisition. Further the conditions mentioned above in respect of cooperative societies will govern these cases as well.

"(3) The intention behind these directions is to secure, through directives issued at Government level, uniformity in the functioning of all the Development Authorities. If however any particular cooperative society or coloniser abuses these guidelines or enjoys a bad reputation then it will not be entitled to the benefit of this directive. The Government's viewpoint is to let the private sector and the cooperative sector contribute ~~equally~~ contribute to the development of housing, and to let the Development Authorities concentrate on maximum utilisation of their scarce resources in areas where such cooperative society or private colonisers are not available. The Development Authorities will however ensure that the lay out plans or the development plans submitted by the societies or colonisers should harmonise with the lay out and zonal plans of the Development Authority in the rest of the area under its jurisdiction and also that cooperative societies^{or} or colonisers develop the areas properly. For this purpose the Development Authority should maintain adequate supervision over the carrying out of the development and also obtain adequate security from them."

Till now there was no general policy laid down on the subject. In respect of future action the following decisions have been taken :-

"(1) If any cooperative society has entered into a registered agreement for purchase of any land or has purchased land through registered sale deed then such land should not normally be acquired for the development of any housing scheme except in special circumstances when such acquisition appears to be absolutely necessary. However while releasing such land in favour of the cooperative society the society will be required to agree to the development of such land according to a fixed time table. It will have to get its lay out plan sanctioned by the Development Authority or the Prescribed Authority. Where the area of external development falls within the territorial jurisdiction of a Development Authority the society will have to deposit the cost of external development with that Authority. The society may itself undertake the internal development but it will have to obtain approval of the Development Authority for the details of such development and will also have to deposit such necessary security with the Development Authority as may be fixed by the latter to ensure its satisfactory completion.

"(2) Likewise if private builders or colonisers enter into registered agreement in respect of any land and prepare lay out plans for its development and also submit such lay out plans

h

17. The words "isee prakar" appearing at the beginning of sub-para (2) of this G.O. have been translated above as "likewise". These words indicate that the reference to "registered agreement" occurring in sub-para (2) has to be construed as a reference to a registered agreement for purchase of the land or registered sale deed of land as mentioned in sub-para(1).

18. In the instant case the Paper Mill has already got a registered lease of the Nazul land in its favour. That lease is still in force and will continue to be in force for another 44 years without requiring any renewal. As noted at the outset the Nazul lease does not prohibit absolutely the transfer of land or the execution of a housing scheme thereon. Indeed transfer is clearly permitted. In the instant case it has been seen that the Nazul Department of the LDA has no objection to the grant of permission for execution of a housing scheme either. The only hindrance in the grant of sanction by LDA is that the LDA wants to carry out a housing development scheme prepared by itself on the land, and for this purpose submitted a proposal to the State Government through the Collector for acquisition of the land. The very proposal submitted by the LDA makes it clear that there is no objection on its part to the execution of housing scheme on the land. The LDA (which manages the Nazul) itself wants to execute a housing scheme on it and the State Government has also accepted

L.D.A's proposal and issued notifications for land

acquisition for that purpose. The dispute is thus only about which agency, — the LDA or the lessee, — is to execute the housing project. The language of the G.O. dated 27-10-86 is quite categorical and in accordance with the same it is the lessee who should be permitted to execute the housing scheme instead of the LDA trying to waste its limited resources over it. The Government expects the LDA to utilise its resources, if any surplus resources are still available, elsewhere, i.e., in areas where a reliable cooperative society or a reliable builder or coloniser is not available. There is no suggestion that the Paper Mill is not a reliable party. On the other hand it seems to be in the interest of U.P. State Financial Corporation, which is also an instrumentality of the State Government, that the Paper Mill should itself execute the scheme and not the LDA., because in the former case the Paper Mill will be able to realise much more money which will be available for liquidating the dues of the Corporation speedily.

19. It is now settled law that even purely executive instructions, as distinguished from 'law', are enforceable in courts. So far as the G.O. dated 27-10-86 is concerned, it is not a mere executive instruction which either the issuing authority or the LDA may ignore at its will. Section 41(1) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 provides that the Development

Authority, the Chairman or the Vice-Chairman shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act. The G.O. dated 27-10-86, in so far as it is addressed to Development Authorities, is thus a statutory direction under section 41(1) and as such binding on the LDA and its Chairman and Vice-Chairman.

20. The directive contained in G.O. dated 27-10-86, can be enforced through Court not only against the LDA but also against the State Government. In the well known case of R.D. Shetty v. I.A.A. (1979) 3 SCC 489 the Supreme Court observed that with the tremendous expansion of welfare and social service functions by the State the power of the executive Government to affect the lives of the people is steadily growing, which renders it necessary for the courts to control the exercise of that power so as to prevent its arbitrary application or exercise. The Supreme Court relied on an American decision for holding that an executive agency must be rigorously held to the standards by which it professes its actions to be judged. In Amerjit Singh Ahluwalia v. State of Punjab (1975) 3 SCC 503 it was observed that even if a Government order be in the nature of administrative instruction not having the force of law the Government cannot at its own sweet will depart from it without rational justification. That would be destructive of the right to equality. Article 14 of the Constitution

(fundamental right to equality) embraces the principle of rationality and strikes against arbitrary and discriminatory action.

21. In the instant case the plans were submitted by the Paper Mill as far back as in December, 1980 while the proposal for land acquisition was sent by the LDA and acted upon by the State Government in 1986. Of course the notifications under the Land Acquisition Act had been issued earlier than this G.O. dated 27-10-86, but the G.O. contemplates not merely refraining from proceeding with land acquisition proceedings but also release of land covered by land acquisition proceedings. The very first para uses the words "ya chhot diya jaye". Sub-para (1) also speaks of "adhigrahan chhote samay". Thus this G.O. covers not only cases of future issue of land acquisition notifications but also release in future from acquisition under notifications already issued, — at any rate cases in which land acquisition proceedings remain pending at some stage even though notifications have been issued earlier. A case in which possession still remains to be taken and the taking of possession has been stayed by Court will certainly be covered by the G.O.

22. It is undisputed, as noted earlier, that the land continues to be in the possession of the Paper Mill. Accordingly the proceedings under the Land Acquisition Act cannot be said to have finally come to an end in the instant case.

23. The G.O. dated 27-10-86 should equally cover the earlier notifications of 1958-59. Indeed the earlier notifications of 1958-59 have virtually been conceded by the LDA and the Government not to cover the disputed land, for this is what the issuance of the new notifications dated 25-8-86 and 1-9-86 implies. The Civil Court's finding on the subject is already against the State Government and the LDA, and only the LDA has gone in appeal against it. Even the LDA apparently did not feel confident of its success in the appeal, and that is why it submitted a fresh proposal for acquisition.

24. The new notifications dated 25-8-86 and 1-9-86 have taken the help of section 17 of the Land Acquisition Act. Section 17, it is axiomatic, can be resorted to only in cases of urgency. Whether the matter was really urgent is no doubt firstly for the satisfaction of the State Government, but even that subjective satisfaction is not immune from judicial review. In Narsin Govind Cavate v. State of Maharashtra (1977) 1 SCC 133 it was held that the formation of an opinion or the satisfaction of the Government as to urgency is a condition precedent to the exercise of the power, and the Courts can always examine whether a condition precedent to the exercise of a statutory power was fulfilled or not. Accordingly the Government's opinion on urgency can be challenged on three grounds, namely :-

- (1) on the ground of mala fides;
- (2) on the ground that the authority did not apply

R its mind to the material on which it formed

the opinion or arrived at the satisfaction;
(3) on the ground that the material on which it formed its opinion or reached the satisfaction was so insufficient that no man could reasonably reach that conclusion.

!(See paras 11 and 24 of the Report)

25. In the case before us we find that the Improvement Trust first initiated action in respect of the scheme in 1958. Thereafter little progress seems to have been made until December, 1973 when the Special Land Acquisition Officer gave his award. Almost ten years thereafter, the LDA tried to take possession of the land. This attempt was made almost three years after the Paper Mill had already submitted its plotting and housing plans in pursuance of the interim orders of the High Court in the litigation between the Paper Mill and the Financial Corporation. Thus the fact that the matter has been hanging on for over twenty-six years prior to the issue of the notifications dated 25-2-86 and 1-9-86 and the further circumstance that if LDA genuinely felt that the housing situation required urgent action to be taken then it was easy for it to have sanctioned the Paper Mill's own plans submitted on 22-12-80, are factors to which the Government should have applied its mind when considering the question of urgency. It does not seem even to have applied its mind to the two letters of the Collector seeking to withdraw his earlier proposal for land acquisition. The courts

are no doubt normally reluctant to interfere with the subjective satisfaction of the Government. On the special facts and in the circumstances pointed out above it should not however be difficult for the Paper Mill to persuade the court that the Government had failed to apply its mind to the relevant circumstances and that for this reason the Government's purported satisfaction as to urgency was vitiated. It would be a case of non-application of mind or malice in law even though no factual malice be attributable to the Government or to the LDA. So far as the LDA is concerned there may be no animus on its part towards the Paper Mill but the LDA is standing more on prestige than showing interest in speedy execution of housing plans. A statutory authority is not expected to stand on false prestige and thereby to delay the execution of the housing plans required in the public interest.

26. To sum up :-

- (1) In view of the finding of Civil Court the land in dispute is not covered by the notifications of 1958-59, and a heavy onus lies on the LDA to displace the finding of fact recorded on the point by the Civil Judge. The circumstances relied on by the Civil Judge in support of his finding are relevant and valid.

b (2) The notifications dated 25-3-86 and 1-9-86

are vulnerable on the ground of non-application of mind by the Government to the relevant facts and circumstances mentioned above.

- (3) The G.O. dated 27-10-86 has statutory effect under section 41(1) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 and is as such binding on the LDAs.
- (4) The said G.O. dated 27-10-86 can be enforced against the State Government as well on the principles laid down in Shetty's case and Ahluwalia's case decided by the Supreme Court (referred to above).
- (5) In view of the terms of the said G.O. the Government and the LDA are expected to release the disputed land from acquisition proceedings and can withdraw from the same under section 48 of the Land Acquisition Act inasmuch as they have not been able to take possession of the land so far.
- (6) It will be in the public interest and also in the interest of parties, namely, the Paper Mills and LDA, that the lengthy and tortuous litigation between the parties be brought

to an end by a compromise between them whereby acquisition proceedings be dropped and the writ petitions and the First Appeal, which has in effect become infructuous because of the fresh land acquisition notifications of 1986, be formally withdrawn from the High Court by the respective parties and the plans submitted by the Paper Mill on 22-12-80 be sanctioned under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 as required by G.O. dated 27-10-1986 and their speedy execution be ensured as per mutual agreement.

(K. N. GOYAL)

Lucknow: June 13, 1988.

विषय: अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में

आख्या: अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड में दिये जाने के सम्बन्ध में उप समिति की बैठक दि० 12.7.89 को हुई थी। समिति ने कतिपय शर्तों के साथ रिहायशी दर की आधी दर पर 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की अनुमति की थी। उप समिति की बैठक के कार्यपत्र की प्रति संलग्न है।

2. उप समिति द्वारा अनुमति शर्तों एवं दरों पर 10 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा, प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति दिया गया था।

3. सचिव, आवास ने अपने असा०प० दि० 2.3.90 प्रतिलिपि-संलग्न द्वारा सूचित किया है कि दि० 2.3.90 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि लॉकअप द्वारा जो पर्याप्त रिहायशी दर पर 10 एकड़ भूमि उक्त योजना की गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड में दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, वह वाकी नहीं है क्योंकि इस कार्य के लिये कम से कम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की है। तबसे निर्णय है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के हस्त पर यह निर्णय लिया गया कि लॉकअप पर्याप्त रिहायशी दर पर अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि कुल 15 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड में उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

4. उप समिति की अनुमति पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 10 एकड़ भूमि रिहायशी दर की आधी दर, आवासीय पर देने का निर्णय लिया गया था, दि० 2.3.90 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, तो उक्त बैठक में यह बताया गया कि भूमि की वर्तमान दर रु० दि० 2.3.90 को रु० 470/- 9000 मी० है, जिसकी आधी दर रु० 235/- 9000 मी० पर 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। रु० 235/- 9000 मी० से 10 एकड़ भूमि का कुल प्रीमियम रु० 95.102 लाख आता है। माननीय मंत्री जी के हस्त पर यह निर्णय लिया गया कि 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि अतिरिक्त कुल 15 एकड़ भूमि रिहायशी दर पर उपलब्ध करा दी जाये। तदनुसार ही सचिव, आवास ने अपने असा०प० दि० 2.3.90 द्वारा सूचित किया कि उक्त उपरोक्त क्रम सं० 3 में किया गया है।

5. 15 एकड़ भूमि उपरोक्त रिहायशी दर रु० 235/- 9000 मी० पर यदि उपलब्ध कराई जाती है तो कुल प्रीमियम रु० 142.652 लाख आयेगा। यदि 10 एकड़ भूमि रिहायशी दर अर्थात् रु० 235/- 9000 मी० पर उपलब्ध कराई जाती है तो 10 एकड़ भूमि का कुल

प्रीमियम रु095.102 लाख आता है और यदि अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि
 पूर्ण दर अर्थात् रु0470/- प्र0व0मी0 पर उपलब्ध कराई जाती है तो
 5 एकड़ भूमि का प्रीमियम रु095.102 लाख आयेगा । इस प्रकार
 कुल देय प्रीमियम रु0190.204 लाख आयेगा । इस प्रकार अतः
 प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध में यह निर्णय लेने का कष्ट करें कि
 15 एकड़ भूमि यथावत् पूर्व रियायती दर पर उपलब्ध कराई जायें
 अथवा 10 एकड़ भूमि रियायती दर पर और 5 एकड़ भूमि पूर्ण दर
 पर उपलब्ध कराई जायें ।

अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.7.82 को हुई उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- 1. श्री बृहस्पति शर्मा, उपाध्यक्ष, वि०प्र० लखनऊ अध्यक्ष उप समिति,
- 2. ए० सी० एन० खन्ना, सदस्य, वि०प्र० लखनऊ सदस्य उप समिति
- 3. श्रीमती अमा त्रिपाठी, सदस्य, वि०प्र० लखनऊ सदस्य उप समिति,
- 4. ए० सी० डी० मिश्रा, उप मुख्य विद्यार्थी अधिकारी सदस्य उप समिति,
- 5. श्री एम० एन० दयाल, एम० टि० एल० नगर, प्रतिनिधि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, सदस्य उप समिति,

अन्य उपस्थिति

- 6. श्री विद्याधर त्रिपाठी, लखनऊ,
- 7. श्री डी० सी० त्रिपाठी, काँवरवा०-खैर-खैर-वा०,
- 8. श्री अमरेंद्र सिंह, नगर नियोजक, नगर नियोजक,

उपरोक्त उप समिति में मे० डी० खन्ना के प्रतिनिधि श्री त्रिपाठी अवगत कराने हेतु बुलाया । मे० डी० खन्ना की ओर से श्री सुब्रह्मण्यम् उपस्थिति हुए । उन्होंने बताया कि मे० अकोली तथा मे० डी० खन्ना केवल एक ५० लि० की दवाघेरी । धरती का विनियोजन N.R.E. से मे० डी० खन्ना द्वारा किया जाएगा । इसका मूल्य मे० अकोली अवगत से प्राप्त किया जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि देवदराबाद तथा मद्रास में अपोलो अस्पताल कार्यरत है और अन्य स्थानों जैसे : बन्दीगढ़, दिल्ली, विलासपुर, अहमदाबाद, बम्बई तथा बंगलौर आदि स्थानों पर under way हैं । श्री सुब्रह्मण्य ने उप समिति को यह भी बताया कि अपोलो अस्पताल मद्रास की मॉडल ही multi-species अस्पताल लखनऊ में स्थापित किया जाएगा । इस सम्बन्ध में उन्हें consent मे० इंडियन हास्पिटल कारपोरेशन लि० के ए० प्रयाप सी० रेड्डी जो उपरत निगम के अध्यक्ष हैं, से प्राप्त हो चुकी है । मे० डी० खन्ना के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि मे० अपोलो से एक अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा, जिसमें अस्पताल के निर्माण

22

तथा संवाहन आदि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण ^{मादियुक्त} ररेगा ।

2. मे० के० सन्त के प्रतिनिधि से बात कर ने अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श करने तथा सदन परीक्षण उपरान्त एवं व्यापक जन हित में उप समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

1/1 भूमि का आवंटन मे० अपोलो अस्पताल के पक्ष में किया जायेगा ।

1/1 भूमि 10 एकड़ गोमती नगर योजना के विनीत चण्ड में उपलब्ध कराई जायेगी ।

1/1 भूमि की वर्तमान आवासीय दर २०५५०/- ५०००मी० है । इस दर की जायी दर २०२२५/- ५०००मी० रियायती दर है । अतः इस रियायती दर/के अनुसार 10 एकड़ भूमि, जिसका कुल प्रीमियम २०११.०५५ लाख आता है, दे दी जाये ।

1/1 भूमि १००वर्ग के पट्टे पर दी जायेगी। पट्टे का रियायत निर्धारित दर एवं शर्तों के उपरि देय होगा ।

1/1 ^{उक्त भूखण्ड की 25% सतह को सौंपा जायेगा} ^{उक्त भूखण्ड का अधिक वृद्धि से बचने के लिए} ^{उक्त भूखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी तथा 25% सतह में} ^{रियायती दर पर उपलब्ध करायी जायेगी ।}

1/1 १००वर्ग के अधिकारियों/कर्मियों तथा उनके आश्रितों को निवृत्त/पेंशिया उपलब्ध कराई जायेगी । इसमें वर्तमान अधिकारी/कर्मियों तथा उनके आश्रित, भुतपूर्व अधिकारी/कर्मियों तथा उनके आश्रित, प्रतिनिधित्व पर आये अधिकारी/कर्मियों तथा उनके आश्रित सम्मिलित होंगे । इसके अतिरिक्त इस निवृत्त सुविधा के अन्तर्गत प्राधिकरण के सम्मानित भुतपूर्व सदस्य तथा वर्तमान सदस्य भी यह सुविधा पाने के हकदार होंगे । ऐसे अधिकारी/कर्मियों/सम्मानित सदस्यों तथा उनके आश्रितों को अपोलो अस्पताल में भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

1/1 वह भूमि इस शर्त पर अपोलो अस्पताल को दी जायेगी, कि वह सभी विविध सुविधाएँ जो मे० के० सन्त के पत्र दिना. 7 में उल्लिखित है तथा जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, लखनऊ के प्रस्तावित अस्पताल में उपलब्ध कराई जायेगी । सभी विवि

क्रमतः.....

92

शम्भु नाथ
आई. ए. एस.
सचिव

अर्थ शा०पत्र सं०: 2485/पी. एस. /एम/90
आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।

दिनांक 2.3.90

प्रिय श्री राय,

दृष्टया अपने अ०शा०पत्र सं० 282/उपा०/ती दिनांक 1 मार्च, 1990 का संदर्भ में जो अपोलो हास्पिटल ग्रुप द्वारा लखनऊ में एक आधुनिक चिकित्सालय खोले जाने से संबंधित है। इस संबंध में आज मा० स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस बाबत पर बत दिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो अनापूर्व रिवायती दर पर 10 एकड़ भूमि उक्त प्रयोजनार्थ गोमतीनगर के विनोतखंड में दिये जाने हेतु प्रस्ताव है वह काफ़ी नहीं है क्योंकि इस कार्य के लिये कम से कम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता इंगित की गई है। तन्पश्चात् यह निर्णय मा० स्वास्थ्य मंत्रीजी के त्तर पर लिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अनापूर्व रिवायती दर पर अतिरिक्त 5 एकड़ कुल 15 एकड़ भूमि गोमती नगर के विनोत खंड में उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

दृष्टया तदनुसार तमुचित कार्यवाही करें एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आशय का फुलफुल प्रस्तुत करें तथा उक्त दर प्राधिकरण के लिये नये निर्णय की शासन स्तर पर तमुचित प्रोत्साहन कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

६०/-

श्री दिनेश राय,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

शम्भु नाथ

Handwritten signature/initials

विषय: एम्प्लोजेन्ट पार्क को विकसित करने के सम्बन्ध में,

आहवा: गोमती नगर-योजना के तलपट मानचित्र में एक बृहद केन्द्रीय क्रियाओं के खुले स्थान का प्राविधान किया गया था जिसके एक भाग में एम्प्लोजेन्ट पार्क को विकसित करना एवं निर्मित करना सम्मिलित था। इस ध्येय की पूर्ति हेतु लॉवि०प्रा० द्वारा ^{१९९५} वरु भुगतान की निम्न शर्तों के साथ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था :-

25/10-600000

1. भूमि की दर रु० 150/- 5000 मी०,
2. कुल देय प्रीमियम का 25% अक्टूबर पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर देय,
3. अक्षेप 75%, 4 वर्षों में अठ ठमाही तिथियों में देना ब्याज से देय,

2. उपरोक्त विज्ञापन के तारतम्य में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर उप समिति द्वारा विचार किया गया था। इस उप समिति में उपस्थित, मुख्य रूप से नगर निधीय, तथा डाक्टराणा नगरीय निधि के सदस्यों ने सहमत थे। इन उप समिति को कैक दि० 15.12.87 को सूचित था। इस उप समिति ने 3 प्रार्थनों को करीबान निम्न प्रकार निर्धारित की थी :

- I. आशुतोष इंडिया लि, नई दिल्ली,
- II. इलेक्ट एम्प्लोजेन्ट पार्क इंडिया लि बम्बई,
- III. एम्प्लोजेन्ट पार्क प्रा० लि बम्बई,

3. आशुतोष इंडिया लि को दो वर्ष प्रथम श्रेणी के आधार पर अक्टूबर पत्र दि० 30.12.87 को भेज दिया गया था। परन्तु उपरोक्त को ने अपने उपरोक्त पत्र दि० 20.2.88 द्वारा सूचित किया कि जो स्थान एम्प्लोजेन्ट पार्क के तले दुना गया है, वह उपयुक्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि वह स्थान ऊपर के पट्ट में होना चाहिये, वृत्तिके क्रम की शर्तों को माना जाना संभव नहीं था, अतः उनका प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।

4. दुबारा सम्पूज्योन्ट पार्क के विकास एवं निर्माण हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से आपस दि० 31.5.88 तक माँगे गये। उसमें भूमि की दर उपरोक्तानुसार ही रखी गई थी, परन्तु भुगतान की शर्तों में थोड़ा सा संशोधन यह किया गया कि अवरोध 75% अनराशि 4 वर्षों में 8 छमाही किश्तों में लेने के स्थान पर 6: वर्षों में 12 छमाही किश्तों में लेने का प्राविधान किया गया। उपरोक्त विकास के तारतम्य में निम्नलिखित 3 वर्षों में आपस दिये:

1. मे०जी०बी०केन एण्ड सन्स, लोहार गली, ओल्ड मोहेवा, जे० पी० मार्ग, नोन्डेडु महाराष्ट्र ने भूमि आउटलेट के सम्बन्ध में आवेदन नहीं किया बल्कि उक्त वर्ष में सम्पूज्योन्ट पार्क में राइड्स की आपूर्ति एवं उनको स्थापित करने के सम्बन्ध में लिखा।

2. मे० अणु सम्पूज्योन्ट मनीजर्स प्रा० लि० नई दिल्ली ने आवेदन किया। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा कि योजना की लागत इतनी अधिक आ रही है कि उन्हें डेवलपमेंट को नहीं आ पायेगा। उक्त उन्होंने प्रस्तुत किया कि 802.50 लाख प्रोजेक्ट की किराये के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिये 5 सड़क भूमि दे दी जाये।

3. मे० एम०जी०एम० इंटरनेशनल ने भी आवेदन किया। उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी भेजी।

5. पूर्व में उपायुक्त द्वारा गठित समिति ने डा०रासनीना सिंह के स्थान पर डा० पी० एन० कान्त को नामित किया गया। इस समिति का बैठक दि० 19.9.88 को हुई। इस बैठक में मे० एम०जी०एम० इंटरनेशनल तथा मे० अणु मनीजर्स प्रा० लि० नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को उप समिति के समक्ष अपने विषय प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया। मे० एम०जी०एम० इंटरनेशनल का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, परन्तु मे० अणु सम्पूज्योन्ट प्रा० लि० नई दिल्ली के प्रतिनिधि ने अपना विषय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त कं० ने समिति के सदस्यों को बताया कि नोस्ट्रा में उनकी फ़ैक्ट्री लगी हुई है, जिसका निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

क्रमशः

6. इसी दौरान यह अनुभव किया गया कि गोमती नगर योजना में इतने तेज जो स्थल प्रस्तावित है, उसके बाद के समुचित उपाय जब तक न होने के कारण भी आवेदक इस स्थल पर सम्प्लोमेंट पार्क की स्थापना के लिये पूरी तरह अपना मन नहीं बना पा रहे थे। साथही भूमि के प्रीमियम के रूप में जो धनराशि लिया जाना प्रस्तावित है, वह भी अधिक होने के कारण आप्त अधि प्राथमिक अर्जित नहीं हो पा रहे हैं। अतः यह विचार किया गया कि स्थल बदलकर किसी ऐसे स्थान पर सम्प्लोमेंट पार्क का विकास किया जायें, जो बाद आदि की संज्ञाओं से सुरक्षित हो और घनी आवासीय क्षेत्र में हो। इस परिकल्पना के समक्ष एक 10 एकड़ का सुकृष्ट क्षेत्र इमान्साड़े के पास बाव-नीड़ बाग पार्क के ठीक सामने है जिसमें पवि या उः सड़ भूमि सम्प्लोमेंट पार्क के लिये रखा जा सकता है। साथही यह भी विचार किया गया कि इमान्साड़ क्षेत्र में छोटे इमान्साड़े, छोटे ईमान्साड़े, रिजल गैररी, लड्डू बाग का रेंजो बहुत है, जहाँ भारी संख्या में पशुक आते रहते हैं। अतः सम्प्लोमेंट पार्क विकसित हो जाने पर यह क्षेत्र बाहरी पशुकों के लिये एक आकर्षक केन्द्र बना जायेगा।

7. उपरोक्त प्रस्ताव ललित निवास प्राधिकरण की बैठक दि. 21. 11. 89 में विषय संज्ञा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। इस में उप ही प्रस्ताव किया गया कि भूमि का मूल्य होने से अल्प रिको अविचारों से ही मूल्य निवासर उतका 10% वार्षिक विराये के रूप में निर्धारित कर दिया जायें। इस हेतु दूनः विकास समाचार पत्रों में छेरे देने का प्रस्ताव किया गया। विचार विमर्श के परवास् प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

8. सूर्यक सम्प्लोमेंट पार्क 3050 के नगरी में विकसित किये जा रहे हैं, अतः यह उचित प्रतीत होता है कि लडनऊ में भी सम्प्लोमेंट पार्क का विकास किया जायें, जो लडनऊ वातियों के साथ साथ पर्यटकों के लिये भी आकर्षक केन्द्र बनेगा। इस प्रचार सम्प्लोमेंट पार्क विकसित करने के लिये दो स्थान उपलब्ध हैं - एक तो गो0न0 यो0 के विपिन लण्ड में जिसका अक्ष संदर्भ ऊपर दिया गया है, दूसरा

बड़े ईमानवाड़े के पास जिसका संभव संदर्भ भी उपर दिया गया है ।
एम्प्लोयेन्ट पार्क उपरोक्त दोनों स्थानों पर भी हो सकते हैं-एक
स्थान बड़ा तथा दूसरे स्थान पर छोड़ा बनाया जा सकता है और
इस प्रकार दोनों आकर्षण अलग अलग होंगे ।

प्रस्ताव

*Out Signal
Sub.*

- उपरोक्त आख्या के परिपेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव है :
- I: उपरोक्त दोनों ही स्थानों पर बड़ा और छोटा एम्प्लोयेन्ट पार्क विकसित किया जायें ।
- II: प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आर्थी आमंत्रित किये जायें ।
- III: भूमि की विक्री के समय जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित दर से भूमि का प्रीमियम निर्धारित किया जायें और उत्तरा 10% का अति सेराईक के रूप में किया जायें ।
- IV: विपत्तों तथा बीमों की व्यवस्था कम्पनिज संस्थाओं द्वारा ही की जायें ।
- V: एम्प्लोयेन्ट पार्क विकसित करने का कार्य केवल उक्त सं. को दिया जायें, जिसे पूर्व में इस प्रकार का पार्क विकसित करने का अनुभव ही ।
- VI: प्राप्त आर्थी पर विचार करते निर्णय लेने हेतु एक समिति का गठन कर दिया जायें ।

विषय: स्कूल भूखंडों के आवंटन के सम्बन्ध में,

आख्या: विनायक प्राधिकरण द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक उद्देश्य एवं अग्रगण्य बनाने हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्धित आदेशनादेश सं० 3018/11-5-89-6075 के 50/89 दि० 5.7.89 निर्मित किया गया था। इस आदेशनादेश की प्रतीति लाने हे।

2. उपरोक्त आदेशनादेश के अन्तर्गत स्कूल भूखंडों के आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक दि० 22.1.90 को हुई थी। उपरोक्त बैठक के अतिरिक्त की प्रतीति लाने हे।

3. उपरोक्त आदेशनादेश के अन्तर्गत प्राधिकरण (बोर्ड) की भी संसुक्ति आवश्यक है। इसके बजाय विषय औपचारिक संसुक्ति हेतु आदेश को भेज दिया जायेगा।

आदेश

प्राधिकरण द्वारा समिति की संसुक्ति पर विचार करते ही भेज दिये जा सकेंगे।

(Handwritten signature)
गड

दिनांक 22.1.90 को हस्त मुद्रणों के आर्केशन के सम्बन्ध में हस्त/मुद्रण का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- 1. श्री दिनेश राय
उपाध्यक्ष,
को वि० प्र० - अध्यक्ष समिति
- 2. श्री दिवाकर मिश्रा, सी.ए.
सचिव, को वि० प्र० - सचिव समिति
- 3. श्री डी.बी. सक्सेना
कास्ट एडाउन्टेन्ट-एड-
इकोनामिक प्लानर - सदस्य समिति
- 4. सह जिला विद्यालय
निरीक्षक - सदस्य समिति
- 5. प्रतिनिधि जिला क्षेत्रिक
शिक्षा अधिकारी - सदस्य समिति

अन्य उपस्थिति

श्री अमोल सिंह, मुख्य नगर विधायक

उपर्युक्त समिति ने हस्त मुद्रणों के आर्केशन के सम्बन्ध में प्रस्तुत आक्षेप पर विचार किया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

- 1. निम्न विद्यालयों को मुद्रण आवंटित करने का निर्णय लिया गया:-
विद्यालय का नाम वोजना का नाम

1/1	राजीव गांधी ज्योति विद्यालय हड़ताल	जानपुर रोड योजना (एड)
1/2	देवरीय हड़ताल	गोमती नगर योजना
1/3	सेन्ट जोसेफ हड़ताल	सीतापुर रोड योजना (एड)
1/4	दि. वि. वि. का क्षेत्र	जानपुर रोड योजना (एड)

2. श्री अरविन्द सोतोहट्टी ने गोमती नगर योजना में मुद्रण के आर्केशन हेतु प्रस्ताव दिया था। समिति ने निर्णय लिया कि मुद्रण के यह मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः उनके प्रोजेक्ट में गंभीरता से विचार किया जाय। इसी प्रकार अरविन्द सोतोहट्टी हड़ताल में भी शिक्षा विभाग का मान्यता प्रमाण पत्र मांग लिया जाय।


3. अन्य हड़तालों के प्रस्ताव समिति द्वारा अस्वीकृत किये गये।


4. हड़ताल हाल तथा जयपुरिया हड़ताल के संबंध में समिति द्वारा निर्णयों से प्राधिकरण बोर्ड को अवगत करा दिया जाय।


5. श्री बाबा गणेशजी वित्तम एडमिशनल एण्ड वेरिफिकेशन ट्रस्ट को गोमती नगर योजना में 3936.75 वर्ग मीटर का मुद्रण आवंटित किया गया था।


24
24


अब उपरोक्त ने अपने पत्र दि० 17.1.90 द्वारा 7000व.मी. भूमि आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है समिति ने इस पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त को भूमि उपलब्ध करा दी जाय ।


वि. पी. लक्ष्मीनाथ
ऑफिस एवाउन्टेन्ट-सर्व-इकोनामिक
प्लानर


श्री. गंकर लाल
सह. जिला विद्यालय
निरीक्षक


श्री. रामचन्द्र प्रसाद
डिप्टी जिला अधिकारी


श्री. विष्णु चन्द्र निपाठी
सचिव


श्री. दिनेश राय
उपलब्ध

संख्या-3018/11-5-89-607/10/09

जन. सिंह,
सचिव,
आवास, विभाग 1.

सेवा में,

- 1- उपायुक्त,
संयुक्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
- 2- आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 5 जुलाई, 1989

विषय:- 3090 आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा
व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक, धर्मार्थ अथवा अस्पताल चलाने
हेतु भूमि का आवंटन ।

महोदय,

3090 आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरणों के संस्थाओं/व्यक्तियों को शैक्षिक उपयोगार्थ, धर्मार्थ अथवा अस्पताल चलाने हेतु भूमि का आवंटन के प्रस्ताव आते-रहते हैं । इस संबंध में शासन की कोई भी नीति निर्धारित न होने के कारण इस बात की संभावना बनी रहती है कि जो संस्था वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है और जिसको सहायता की जरूरत है उसकी आवश्यकता पर तो विचार न किया जाए, और अन्य संस्था भूमि आवंटन में लगी हो जाए ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी व्यक्ति/संस्था को सामाजिक कार्यों के लिए जिसमें शैक्षिक उपयोग, अस्पताल खोलना तथा धर्मार्थ संस्था आदि खोलना सम्मिलित है, को भूमि आवंटन के लिए निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है :-

1. किसी व्यक्ति या संस्था से सामाजिक कार्यों के लिए, जिसमें शैक्षिक उपयोग, अस्पताल खोलना तथा धर्मार्थ संस्था आदि खोलना सम्मिलित है, भूमि आवंटन हेतु प्रायोजन

करें तो संबंधित निकाय द्वारा इस समय में एक सजाति गठित की जाये, जिसमें संबंधित विभाग के स्थानीय उच्च अधिकारी को भी अपेक्षित रखा जाय। उक्त दृष्टांत की शैक्षिक उद्योग के लिए भूमि मांगी जाती है तो विभाग के स्थानीय अधिकारी और यदि आवश्यक है तो संबंधित जिले के स्थानीय उच्च अधिकारी इस समिति में शामिल किए जाए। यह समिति संबंधित संस्था जिले द्वारा भूमि की मांग को वा रही है, के बारे में गहन जानकारी लेगी और उक्त संस्था को भूमि संबंधी मांग को आंकलन कर अपनी आख्या आवास विकास परिषद/प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

121. समिति से प्राप्त आख्या आवास विकास परिषद/ विकास प्राधिकरण को बैठक के सभ्य रखी जाए, और यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्ताव का औचित्य पाया जाता है तो पारित प्रस्ताव को अपनी संस्तुति सहित आसन को भेजा जाए।

131. आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आसन की स्वीकृति के उपरान्त ही संबंधित संस्था को भूमि आवंटित की जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुमालन तात्कालिक प्रभाव से कार्यरित्वित किये जाने सुनिश्चित करें।

भवदीय
। कर्नल सिंह ।
सचिव
आवास विकास ।

विषय: कल्याण करोति समाज सेवा संस्था को नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित ।

आख्या: कल्याण करोति समाज सेवा संस्था गोमती नगर योजना में 15000वर्ग भूमि नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हेतु रियल्टी दर पर लेना चाहती है । यह संस्था अन्धता के निवारण तथा विकलांगों की सेवा कर रही है ।

2. यह संस्था एक विधि विहित पंजीकृत संस्था है तथा पंजीकृत है । जैसा कि उपरोक्त संस्था ने सूचित किया है कि संस्था फारेन कंटीव्यूअन एक्ट में गृह मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकृत है तथा आय कर अधिनियम के 80-जी की धरारा के अंतर्गत दानदाताओं की धरारा से करमुक्त है । उक्त संस्था ने सूचित किया है कि विविध जनपदों में 10,000से अधिक नेत्र रोगियों के आपरेशन आदर्श परिवेश में पूर्णतः निःशुल्क सेवाओं के साथ सम्पन्न कराये जा चुके हैं तथा विविध जनपदों में सेवा किविरी का आयोजन भी किया गया है ।

3. गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध नहीं है । कानपुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में 1500वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है ।

4. शासन ने अपने पत्र सं०-3018/11-5-89-607डी.ए./89 दि०5.7.89 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा आदेश दिया है कि यदि किसी संस्था को अस्पताल खोलने अथवा धर्मार्थ कार्य के लिए भूमि दी जाय तो एक उपसमिति द्वारा भूमि की मांग के औचित्य को देख लिया जाय । इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि पहले एक समिति का गठन किया गया था । उपरोक्त अस्पताल को गोमती नगर योजना में भूमि दिये जाने से सम्बन्ध में, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- II उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- III डायो बी०एन० उन्ना
- IIII श्रीमती उमा त्रिपठी
- II/I मुख्य ग्रामसेवा नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि
- I/I मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि

5. डायो बी०एन० उन्ना तथा श्रीमती उमा त्रिपठी अब प्राधिकरण के सदस्य नहीं है और इस समय कोई भी गैर शासकीय सदस्य नहीं है । अतः उपरो

समिति निम्नवत् गठित करने हेतु प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने का कट करें :

- 1: उपाध्यक्ष, लोडिंग प्रान्त,
- 2: मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि,
- 3: मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि,
- 4: ~~प्रबन्ध निदेशक, जल निगम अथवा उनके प्रतिनिधि,~~
5. निदेशक ~~HR~~ or Representative

(नीचे)

प्रेषक,

कमल सिंह,
सचिव,
आवास विभाग-1

लेवा में,

- 1- उपाध्यक्ष,
संमत्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- 2- आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 1989

विषय:- 3090 आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा
व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक, धार्मिक अथवा अन्यताम जानने
हेतु भूमि का आवंटन।

महोदय,

3090 आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरणों के संघ
संस्थाओं/व्यक्तियों को शैक्षिक उपयोगों, धार्मिक अथवा अन्यताम जानने
हेतु भूमि के आवंटन के प्रस्ताव आते रहते हैं। इन प्रस्तावों में प्राप्ति की शर्त
नीति निर्धारित न होने के कारण इन बात की समाप्ति नहीं रहती है
कि जो संस्था वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है और किसी समाज
की फायदा है उसकी आवश्यकता पर तो विचार न किया जाए और अन्य
संस्था भूमि आवंटन में स्थान हो जाए।

2- इन संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त है कि उपरोक्त नीति
को दृष्टिगत रखते हुए, विचारोपमान्त शासन में यह निश्चित किया है कि
किसी व्यक्ति/संस्था को तार्किक कारणों के लिए अपने शैक्षिक उपयोग
अन्यताम जानने तथा धार्मिक अथवा आदि उद्देश्यों के लिए भूमि
आवंटन के लिए निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है :-

1- किसी व्यक्ति या संस्था को तार्किक कारणों के लिए
उपयोग, अन्यताम जानने तथा धार्मिक अथवा
आदि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन हेतु प्राप्ति

करें तो संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में एक समिति गठित की जाये, जिसमें संबंधित विभाग के स्थानीय उच्च-अधिकारी को भी अपरिचय रखा जाय। उदाहरण के लिए शैक्षिक उपयोग के लिए भूमि मांगी जाती है तो शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारी और यदि अस्पताल के लिए मांग की जाती है तो स्वास्थ्य एवं विदित्वा विभाग के स्थानीय उच्च अधिकारी इस समिति में शामिल किए जाए। यह समिति संबंधित संस्था जिसके द्वारा भूमि की मांग की जा रही है, के बारे में जहन जानकारी करेगी और उसे स्थान को भूमि संबंधित मांग का आकलन कर अपनी आख्या आवास विकास परिषद/प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

121 समिति से प्राप्त आख्या आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण को बैठक के सम्म रखी जाए, और यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्ताव का उचित्व पाया जाता है तो पारित प्रस्ताव को अपनी संतुष्टि सहित शासन को भेजा जाए।

131 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन को स्वीकृति के उपरान्त ही संबंधित संस्था को भूमि आवंटित की जाये।

द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित किये जाने सुनिश्चित करें।

भवदीय,

कमल सिंह ।
 सचिव,
 आवास विकास ।

विषय:- लघुविकास प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के लेकों का लघुविकास वि
प्राधिकरण के लक्ष्य प्रेषण ।

लघुविकास प्राधिकरण ने वर्ष 1987-88 की योजना शीट पूर्ण
रूप तैयार करा ली है । इस योजना शीट को देखने से विदित होता है कि :-

- क. प्राधिकरण के निर्धारित पूंजीगत ^{पावन} व्यय में विगत वर्षों की अपेक्षा ^{उत्तरी} बढ़ी हुई है । 31.3.88 को यह धनराशि ₹ 1112.45 लाख थी ।
- ख. वास्तु वावनों में व्यापारिक सम्पत्ति की धनराशि ₹ 5960.00 लाख से बढ़कर ₹ 6773.73 लाख हो गये इसी प्रकार प्राधिकरण का अन्तिम अवशेष एवं डिपॉजिट ₹ 675.58 लाख से बढ़कर 31.3.88 को ₹ 996.05 लाख था ।
- ग. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि ₹ 3739.00 लाख 31.3.88 की थी ।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुये यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण अपने भौतिक कार्य कलापों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर रहा है । या दूसरी अर्थव्यवस्था स्थिति भी सुदृढ़ होती ^{जा} रही है ।

सर्वांगीण प्राधिकरण के इस प्रवृत्तियों का प्रश्न है प्राधिकरण में विगत वर्षों में जो अर्थ प्राप्त ^{उत्पन्न} किये गये उनके विस्तार ₹ 1092.00 लाख का मूलभूत शासन तथा संस्थाओं को व्याज के अतिरिक्त भुगतान भी किया दूसरी ओर वर्ष में केवल ₹ 1454.64 लाख का अर्थ प्राप्त किया । इस प्रकार प्राधिकरण ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले अर्थों के प्रतिदान तथा नई प्राप्त पर नियंत्रण भी रखा ।

प्राधिकरण का दूसरा महत्व वृद्धि वृत्त द्वारा जमा की गई रजिस्ट्रेशन का है/प्राधिकरण के पास 31.3.87 को ₹ 954.18 लाख का डिपॉजिट था । जिसके विस्तार प्राधिकरण ने अलाधिक रिफंड किये और यह अवशेष 31.3.88 तक ₹ 1147.42 लाख रहे । ~~इसके अतिरिक्त वर्ष में बढ़ते वर्ष~~ ~~विस्तार~~ । प्राधिकरण में प्रशासनिक तथा संचालित व्यय पर भी नियंत्रण रखा । तथा यथा सम्भव निरवधिता रखा गई ।

(Handwritten signature)
सचिव

उपस्थित /

(Handwritten signature)
12/5/88

लघुविकास प्राधिकरण
लघुविकास विभाग
लघुविकास विभाग

कार्य संख्या

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

ANNUAL ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1988 (1987-88)

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
16/77A, CIVIL LINES,
KANPUR-208 001

Phones : 211487,211380,211843

Grams : "COSTAUDIT"

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW
 BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH,
 1988

As at 31.3.87 (Rs.)	LIABILITIES	Schedule	As at 31.3.88 (Rs.)	As at 31.3.87 (Rs.)	ASSETS	Schedule	As at 31.3.88 (Rs.)
RESERVES AND SURPLUS			FIXED CAPITAL EXPENDITURE:				
	a) <u>sinking fund:</u>				a) <u>Fixed Assets:</u>	III	
1,83,15,151	As per last account	2,07,14,546	12,07,17,516		Gross Block		13,10,56,018
23,99,395	Add: Transfer from Income and Expenditure A/c	22,67,280	3,52,48,696		Less: Depreciation		4,25,43,376
2,07,14,546		2,29,81,826	8,54,68,620		Net Block		8,85,12,642
-	Less: Transfer to Income and Expenditure A/c	33,35,917	1,19,78,588		b) <u>Capital Works in progress</u>	IV	2,27,32,912
2,07,14,546		1,96,45,909			INVESTMENT (Trade)- at cost		
5,57,89,585	b) <u>Income And Expenditure A/c</u> (As per Account annexed)	5,81,27,956	7,77,73,665	6,01,000	10.25% Debentures of HUDCO (6 nos of Rs. 1,00,000 each)		6,00,000
	LOANS:	I			CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:	V	
2,06,00,000	a) 9.5% Debentures-unsecured (to be redeemed in 1988-89)	2,06,00,000		93,06,807	a) Interest accrued but not due on Sinking Fund Investment & HUDCO Debenture		1,06,42,724
16,43,00,279	b) From Government (including world Bank)	16,32,99,394		98,66,507	b) Construction Materials, Stores and spares etc.- at cost		64,45,620
29,02,71,043	c) From Housing Urban Development Corporation Ltd.	38,35,40,043		59,59,81,000	c) Traded properties (Land, Buildings, Shops and Com-complex etc.) including works in progress at estimated value		67,73,73,000
-	d) From Banks-Temporary (against deposits)	1,53,469	56,75,92,906		d) sundry Debtors/Amounts Receivable		37,38,99,435
					e) Cash and Bank Balances		3,99,34,688
					f) Other Deposits with scheduled Banks (including sinking fund deposits)		5,96,74,709
					g) Loans and Advances		3,52,24,162
							1,20,31,94,388
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	II					
9,54,18,140	b) Registration Deposits/Advances (against sales/allotment)	11,47,41,830		25,61,91,566			
37,65,00,000	b) Unpaid Compensation of Land (including intt. thereon)	51,03,78,000		2,05,23,943			
27,54,008	c) Grants & Subsidy (Pending utilization)	20,00,000		4,70,33,346			
3,88,25,161	d) Other Liabilities	4,20,64,041		2,87,11,435			
4,89,250	e) Interest accrued but not due on Debentures	4,89,250	66,96,73,121				
1,06,56,62,012	- : TOTAL :-		1,31,50,39,892	1,06,56,62,012	- : TOTAL :-		1,31,50,39,892

The Schedules referred to above and the attached Notes form an integral part of the accounts.
C E R T I F I C A T E
 The above Balance sheet of Lucknow Development Authority, Lucknow as at 31st March, 1988 and also the annexed Income and Expenditure Account of the Authority for the year ended on that date have been prepared by us on the basis of information and explanations furnished, books and records made available and such adjustments which were considered by us necessary.

LUCKNOW.
 DATED : 20th Feb., 1990



FOR B. C. JAIN & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 (K. JETHWANI)
 PARTNER.

Chief Accounts Officer
 Lucknow Development Authority,
 Lucknow

Secretary

Vice Chairman
 Lucknow Development Authority
 LUCKNOW.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1988.

402: 64
B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 200 001
GRANDS 'COST AUDIT'
PH. : 21190, 21197, 21198

Year Ended 31.3.87 (Rs.)	E X P E N D I T U R E	Schedule	Year Ended 31.3.88 (Rs.)	Year Ended 31.3.87 (Rs.)	I N C O M E	Schedule	Year Ended 31.3.88 (Rs.)
43,38,31,000	Opening Stock of traded properties (Plots, Buildings, shops & Com. complex-meant for sale).		59,59,81,000	32,50,68,708	Sales (Plots & Resi. Bldgs. etc.)	IX	41,75,48,379
31,87,00,473	Land Acquisition and Development Expenses thereon.	VI	30,28,40,567	1,92,98,412	Rent (including lease rent)	X	2,54,45,174
12,99,30,917	Construction Expenses on traded properties.	VII	12,71,79,474	61,35,896	Premium/other Income from Shops & Com. complex.	XI	86,83,760
1,48,33,220	Employees Remuneration and benefits		1,98,99,289		Interest on deposits & debentures etc. (including interest accrued on sinking Fund Investment).		44,92,746
1,48,47,585	Administration and General Expenses	VIII	2,16,95,478	1,24,16,934	Other Income	XII	1,04,00,210
4,10,76,524	Interest (incl. Rs.3,66,32,000 - being interest on unpaid compensation)		9,00,86,068	59,59,81,000	Closing Stocks of traded properties (Plots, Buildings, shops & Com. complex-meant for sales).		7,73,73,000
72,13,946	Depreciation		72,94,680				
2,94,37,885	Balance being surplus carried down		89,66,713				
97,99,71,550	- : TOTAL : -		117,39,43,269	97,99,71,550	- : TOTAL : -		117,39,43,269
-	Adjustments relating to earlier years.		76,96,979	3,77,51,095	Balance brought forward from last account		5,57,89,585
23,99,395	Transfer to Sinking Fund Reserve		22,67,280	2,04,37,885	Balance brought down		89,66,713
5,57,89,585	Balance carried to Balance sheet		5,81,27,956	-	Transfer from Sinking Fund Reserve		33,35,917
5,81,88,980	- : TOTAL : -		6,80,92,215	5,81,88,980	- : TOTAL : -		6,80,92,215

The schedules referred to above and the attached Notes ^{form} ~~are~~ an integral part of the accounts.

AS per our CERTIFICATE at the foot of the Balance sheet.

for B.C. JAIN & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS,



(Signature)
L. JETHWANI)
PARTNER.

LUCKNOW:
DATED: 20th Feb., 1990.

Page: 65

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - I

LOANS:

As at 31.3.1987 (Rs.)	P A R T I C U L A R S.	As at 31.3.1988 (Rs.)
2,06,00,000	a) <u>9.5% DEBENTURES-Unsecured</u> (to be redeemed in 1988-89)	2,06,00,000
	b) <u>FROM GOVERNMENT:</u>	
	1) <u>Taken by the Authority:</u>	
13,51,21,460	Balance as per last account	14,81,47,299
(+) 5,70,19,100	Add: Received during the year	1,06,72,000
19,21,40,560		15,88,19,299
(-) 4,39,93,261	Less: Repaid during the year	1,03,62,925
14,81,47,299		14,84,56,374
	ii) <u>Inherited (Transferred from Mahapalika):</u>	
65,53,186	Balance as per last account	50,05,980
(-) 15,47,206	Less: Repaid during the year	13,09,960
50,05,980		36,96,020
	iii) <u>Under World Bank Scheme:</u>	
-	Balance as per last account	1,11,47,000
(+) 1,11,47,000	Add: Received during the year	-
1,11,47,000		1,11,47,000
	c) <u>FROM HOUSING AND DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (HUDCO):</u>	
17,60,44,043	Balance as per last account	29,02,71,043
(+) 14,05,19,800	Add: Received during the year	13,47,92,000
31,65,63,843		42,50,63,043
(-) 2,62,92,800	Less: Repaid during the year	4,15,23,000
29,02,71,043		38,35,40,043
1,50,00,000	d) <u>FROM BANKS:</u>	
(+) 3,88,57,200	Balance as per last account	-
5,38,57,200	Add: Taken during the year	5,61,79,889
(-) 5,38,57,200		5,61,79,889
-	Less: Repaid during the year	5,60,26,420
47,51,71,322		1,53,469
	- : T O T A L : -	56,75,92,906



sub Note: The previous year figures have been ~~re~~ regrouped ^{where} considered necessary.

708:66

B. C. JAIN & Co.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 11, RAIPUR - 200 001
 GRAND L'ESTABLISSEMENT
 PH. : 21220, 21247, 21244

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE -II.

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

As at 31.3.1987. Rs.	P A R T I C U L A R S.	As at 31.3.1988 Rs.
9,54,18,140	(a) Registration Deposit/Advance against sales and/or allotment.	11,47,41,830
37,65,00,000	(b) <u>Unpaid Compensation of Land:</u>	
	As per last account	37,65,00,000
	Add: (i) Accrued during the year	23,63,84,000
	(ii) Interest due for the year	3,66,32,000
		64,95,16,000
	Less: Amount paid during the year	13,91,38,000
		51,03,78,000
27,54,008	(c) <u>Grants and Subsidy:</u>	
	As per last account	27,54,008
	Add: Received during the year	20,00,000
		47,54,008
	Less: Adjusted during the year	27,54,008
		20,00,000
3,88,25,161	(d) <u>Other Liabilities:</u>	
	Contractors' Security Deposit and Other amounts payable incl. Pension Fund Scheme etc.	4,20,64,041
4,89,250	(e) <u>Interest accrued but not due on debentures:</u>	
	(Provision of accrued Intt. for last three months)	4,89,250
51,39,86,559	- : T O T A L : -	66,96,73,121



406:67

B. C. JAIN & Co.,
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 KANPUR - 208 005
 GRAM: LOKSTALIET
 PH: 31350, 31341, 31343

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - III

FIXED ASSETS:

Particulars of Assets	As at 1.4.87(Rs.)	GROSS BLOCK		DEPRECIATION			NET BLOCK		
		Additions (Rs.)	Adjustment (Rs.)	As at 31.3.88 (Rs.)	Up to 31.3.87 (Rs.)	For the year (Rs.)	Up to 31.3.88 (Rs.)	As at 31.3.88 (Rs.)	As at 31.3.87 (Rs.)
BUILDINGS (transferred from Mahapalika)	10000000	-	-	10000000	4866578	256671	5123249	4876751	5133422
OFFICE & ADMINISTRATIVE BUILDING	5365990	533991	-	5899981	604798	264759	869557	5030424	4761192
WORKING WOMEN HOSTEL (Net of Grant Grantsubsidy Rs. (Net of Grant Spbsidy Rs. 4 lacs)	924990	-	-	924990	149047	38797	187844	737146	775943
SULAB SACHALAYA	3913821	1247052	2,50,000	4910873	479736	221557	701293	4209580	3434085
SHOPS AND COM.COMPLEX	59379515	488451	-	59867966	12570961	2364850	14935811	44932155	46808554
<u>PLANT & MACHINERY</u> (including vehicles)	12702704	1238000	-	139407 04	8012652	1018741	9031393	4909311	4690052
HOT MIX PLANT	5256191	1716014	-	6972205	1458593	8,27041	2285634	4686571	3797598
ELECTRIC CREMATORIUM (Net of Grant/subsidy Rs. 10 lacs)	939460	322261	-	1261721	216557	156775	373332	888389	722903
OFFICE & OTHER EQUIPMENTS	2483197	736191	-	3219388	1085212	320126	1405338	1814050	1397985
<u>FURNITURE & FIXTURES</u>	1284571	239326	-	1523897	394554	112934	507488	1016409	890017
PARKS, ZWEEEL & OTHER BEAUTIFICATION- WORKS	18467077	3004240	-	21471317	5410008	1606131	7016139	14455178	13057069
ROADS	-	1062976	-	1062976	-	106298	106298	956,678	-
T O T A L :-	120717516	10588502	250000	131056018	35248696	729480 7274880	42543376	88512642	85468820



905:68

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
RAJAPUR - 200 001
GRAND HOTEL
PH. 1 2190, 2191, 2192

SCHEDULE - IV

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

CAPITAL WORKS IN PROGRESS:

As at 31.3.1987 (Rs.)	Particulars of Work	Opening Balance (Rs.)	Additions during the year (Rs.)	Adjustment (Rs.)	As at 31.3.88 (Rs.)
59,03,102	CHOWK NIBU BAGH COMPLEX	59,03,102	10,19,811	-	69,22,913
51,56,748	KAILASH KUNJ COMPLEX	51,56,748	58,57,228	-	1,10,13,976
2,21,759	NANDA KHERA COMPLEX	2,21,759	43,11,073	-	45,32,832
-	TIKAIT RAI TALAB	-	1,82,917	-	1,82,917
-	NISHAT PALACE	-	80,274	-	80,274
6,96,979	OTHERS MSC	6,96,979	-	6,96,979	-
<u>1,19,78,588</u>	- TOTAL -	<u>1,19,78,588</u>	<u>1,14,15,303</u> 11451303	<u>6,96,979</u>	<u>2,27,32,912</u>



706:69

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
H. A. N. P. U. - 205 501
GRAND : 100572001
P. O. : 21250, STREET, 21243

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE -V.

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:

As at 31.3.87
Rs.

P A R T I C U L A R S .

As at 31.3.88
Rs.

	(A) <u>CURRENT ASSETS:</u>				
	<u>Interest Accrued on:</u>				
92,91,432	Sinking Fund Investment	1,06,27,349			
15,375	HUDCO Debentures	15,375	1,06,42,724		
98,66,507	<u>Construction Materials - at Cost</u> (incl. Stores & Spares)		64,45,620		
59,59,81,000	<u>Traded Properties - at estimated value</u> (incl. Works in progress)		67,73,73,000		
	<u>Sundry Debtors:</u>				
25,03,02,833	Amt. receivable agst. Sales made - on hire-purchase basis.	36,79,27,055			
27,73,733	Rent in arrear	28,32,380			
31,15,000	Amt. receivable from Nazul.	31,40,000	37,38,99,435		
2,05,23,943	<u>Cash & Bank Balances:</u> (incl. with divisions)		3,99,34,688		
	<u>Deposits:</u>				
2,63,18,800	Short term deposits with Scheduled Banks	4,00,28,800			
	<u>Sinking Fund Investment :</u>				
	<u>Re-investment Deposit with:</u>				
90,49,682	Indian Overseas Bank	98,49,480			
	(to redeem debentures)	97,96,429	1,96,45,909	5,96,74,709	1,16,79,70,176
1,16,64,864	United Commercial Bank (for repayment of seed capital)				
	(B) <u>LOANS AND ADVANCES:</u>				
1,38,87,750	Advances with divisions-pending adjustment		1,55,60,689		
1,19,10,934	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received		1,51,93,435		
29,12,751	Advances to staff		44,70,038	3,52,24,162	
96,76,14,604					1,20,31,94,338



- : T O T A L : -

406:70

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 220 001
GRAND HOTEL
PH. : 21200, 21201, 21202

SCHEDULE - VI

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.


LAND ACQUISITION AND DEVELOPMENT EXPENSES THERE ON:

Year ended 31.3.1987 (Rs.)	PARTICULARS OF THE SCHEME	Compensation paid	Development Expenses	Year ended 31.3.1988 (Rs.)
14,24,19,942	Gomti Nagar	4,41,88,212	8,58,34,428	13,00,22,640
8,56,57,502	Kanpur Road	6,22,30,000	3,36,52,201	9,58,82,201
6,66,62,087	Sitapur Road	1,50,00,000	2,92,31,290	4,42,31,290
95,07,699	Aliganj	50,000	57,32,149	57,82,149
-	World Bank	97,70,000	25,04,552	1,22,74,552
6,13,086	Tikait Rai	5,00,000	26,62,136	31,62,136
7,59,890	Ram Nagar	-	11,46,396	11,46,396
59,299	Hardoi Road/Radha Gram	25,00,000	4,30,365	29,30,365
18,61,598	Colvin, PAC & Nagier Road	48,00,000	9,82,730	57,82,730
26,59,370	Others	1,00,000	22,26,108	23,26,108
31,02,00,473		13,91,38,212	16,44,02,355	30,35,40,567
5,55,00,000	Less: Adjusted against Grants and subsidy	-	7,00,000	7,00,000
29,47,00,473		13,91,38,212	16,37,023.55	30,28,40,567
2,40,00,000	Add: Adjustment (Accrual for the <u>1987</u> year)	-	-	-
31,87,00,473	- : TOTAL :-	13,91,38,212	16,37,02,355	30,28,40,567



NOTE: Work wise break-up of development expenses is as under:

Particular of the scheme	Investigation (Rs.)	Development (Rs.)	Roads (Rs.)	Drains (Rs.)	Water Supply (Rs.)	Lighting (Rs.)	Parks (Rs.)	Contingencies (Rs.)	Miscellaneous (Rs.)	Total (Rs.)
Gomti Nagar	420396 (7827)	3678129 (3605749)	39061874 (344007414)	26188941 (21865255)	7012362 (9081760)	9169046 (8011768)	1231763 (2828768)	71917 (618491)	- (-)	85834428 (79419942)
Kanpur Road	438828 (13752)	2702306 (2003649)	34142663 (3289510)	5092357 (4475835)	3170773 (4036628)	6462445 (3681436)	951135 (1378664)	690694 (187018)	- (-)	33652201 (28157502)
Sitapur Road	28703 (9723)	3648790 (1287357)	8552378 (6135239)	9140500 (6051153)	3608096 (1714235)	3296736 (1147827)	907678 (1805693)	51409 (860)	- (-)	29231290 (18162087)
Aliganj	14585 -	1259640 (44855)	902249 (2295893)	1195600 (201025)	554277 (2137001)	1270381 (1960851)	312565 (2192100)	53385 (37579)	169467 (638395)	5732149 (9507699)
World Bank	- (-)	- (-)	2504552 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2504552 (-)
Tikait Rai	- (-)	104509 (2084)	507991 (80183)	228107 (51327)	680711 (-)	611611 (219579)	39873 (68913)	489334 (-)	- (-)	2662136 (413086)
Ran Nagar	- (-)	- (-)	252905 (562204)	229952 (52835)	2790 (-)	- (-)	97697 (144851)	563052 (-)	- (-)	1146396 (759890)
Hardoi Rd./Radha Gram	- (-)	- (-)	374187 (59299)	- (-)	56178 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	430365 (59299)
Colvin PAC & Napier Rd	1359 (4995)	543859 (89497)	167601 (581969)	188575 (373219)	- (3200)	47714 (46673)	30622 (95805)	3000 (66240)	- (-)	982730 (1261598)
Other	- (483237)	335590 (714788)	1248061 (737258)	41577 (264975)	114460 (261410)	308910 (34166)	175410 (-)	2100 (163536)	- (-)	2226108 (2659370)
TOTAL :-	903871 (519544)	12272823 (7747979)	66715461 (57232969)	42305609 (33345624)	15196647 (16234234)	21166843 (15093300)	3746743 (8514704)	1924891 (1073724)	169467 (638395)	164402355 (140400473)



Sub Note : Figures in bracket are in respect of previous year.

LICHKON DEVELOPMENT AUTHORITY, LICHKON

SCHEDULE - VII

५०६ ६०७२

CONSTRUCTION EXPENSES ON TRADED PROPERTIES:

Year ended 31.3.1987 (Rs.)	P A R T I C U L A R S.	Year ended 31.3.1988 (Rs.)
	<u>Residential Buildings:</u>	
4,26,66,270	Gomti Nagar 2,06,62,164	
1,27,78,006	Kanpur Road 1,31,04,562	
2,70,26,510	Sitapur Road 2,29,19,374	
1,40,37,534	Tikait Rai 1,75,61,434	
-	Rail Nagar 66,92,302	
1,08,91,541	La-place/Buttler Palace 1,30,16,633	
-	Colvin/PAC/Napier Road 23,96,256	
16,83,173	Aliganj 16,83,440	
18,08,188	Other Scheme 16,37,491	2,96,72,596
26,97,528	<u>Shops/Com-complex:</u>	
	Gomti Nagar 20,86,506	
	Kanpur Road 6,77,103	
	Sitapur Road 3,17,542	
	Aliganj 30,79,093	
	Cinders Dump 4,31,113	65,91,357
1,42,08,708	Construction Materials & Other Stores consumed 2,05,65,719	
2,33,459	Sium clearance and other Development Works 6,10,802	
	Less: Grants & subsidy 2,61,000	3,49,802
<hr/>		<hr/>
12,90,30,917	: TOTAL : -	12,71,79,474
<hr/>		<hr/>



Note: The work-wise break-up of construction expenses incurred during the year is as under :

y8:73

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
1/A, P. O. Box 603
GRAND CHOKI, DELHI
PH. 1-21130, 21142, 21143

- 2 -

Particulars of the Scheme	EWS	LIG	MIG	HIG	ABE TYPE FLATS	HUDCO COMPOSIT	TOTAL
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
Gomti Nagar	4,708	15,54,846	47,40,383	26,95,075	73,08,570	43,58,522	2,06,62,104
Kanpur Road	24,93,772	48,43,565	19,39,199	16,56,020	21,72,006	-	1,31,04,562
Sitapur Road	1,672	26,77,817	1,20,40,465	2,31,734	46,64,598	33,02,088	2,29,18,374
Tikait Rai	-	54,181	1,24,39,810	37,79,069	12,88,374	-	1,75,61,434
Rail Nagar	-	-	7,70,507	-	59,21,795	-	66,92,302
La-plas/Buttler Palace	-	-	-	-	1,30,16,633	-	1,30,16,633
Colvin/FAC/Napier Road	-	-	23,96,256	-	-	-	23,96,256
Aliganj	1,98,315	10,22,275	4,62,850	-	-	-	16,83,440
Other Schemes	4,73,911	5,04,257	6,59,323	-	-	-	16,37,491
TOTAL :-	31,72,378	1,06,56,941	3,54,48,793	83,61,898	3,43,71,976	76,60,610	9,96,72,596



Sub Note : The Comparative figures for the previous year could not be given since the same were not readily available.

LICKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES:

SCHEDULE - VIII

Year ended 31.3.1987 (Rs.)	PARTICULARS.	Year ended 31.3.1988 (Rs.)
12,21,552	Printing & Stationery	45,42,472
8,83,275	Telephones & Electricity	6,99,791
11,17,195	Vehicles Repairs & Maintenance	10,32,877
16,73,496	Rent, Rates & Taxes	11,48,552
13,72,796	Advertisement	22,27,510
	<u>Repairs & Maintenance:</u>	
12,24,145	Buildings incl. shops & com - complex	12,11,802
7,85,101	Hot Mix Plant	11,76,090
20,85,919	Parks etc.	23,83,507
3,16,808	Legal Expenses	47,71,399
-	Audit Fee	3,06,779
13,42,160	Bank Guarantee Commission	25,00,000
1,12,529	Meeting Expenses	19,86,785
16,428	Books & Periodicals	1,03,073
26,96,181	Other Administrative Expenses	56,299
		23,19,541
1,48,47,585	- : TOTAL : -	2,16,95,478



406:75

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - IX

SALES OF TRADED PROPERTIES:

Year ended 31.3.1987 (Rs.)	Particular of the Scheme	Land/Plots		Buildings		Year ended 31.3.1988 (Rs.)
		Cash down (Rs.)	Cash down	Hire purchase		
13,62,04,392	Gomti Nagar	14,47,40,829	4,56,78,887	21,49,125		19,25,68,841
5,34,95,176	Kanpur Road	3,67,62,271	2,26,85,382	22,12,848		6,16,60,501
7,74,90,403	Sitapur Road	3,96,88,295	3,13,00,472	14,02,956		7,23,91,723
84,81,740	Aliganj	1,32,13,367	26,64,100	6,56,751		1,65,34,278
2,74,96,638	Tikait Rai Talab	-	4,08,87,258	4,97,928		4,13,85,186
1,02,73,562	Coivin/PAC/Napeir Rd	3,54,18,381	34,56,287	1,74,135		3,90,48,603
92,05,000	Sharda Nagar (Raibareilly Rd.)	81,59,000	-	-		81,59,000
-	Hardoi Road/Raxha Gram	72,22,949	1,10,000	-		73,32,949
23,16,867	Ram Nagar	-	56,52,386	13,500		56,65,886
-	Rail Nagar	10,57,366	9,62,283	1,87,250		22,06,649
1,11,25,055	Others	7,75,079	2,76,464	26,983		10,78,526
<u>33,60,88,833</u>		<u>28,70,37,537</u>	<u>15,36,73,529</u>	<u>73,21,476</u>		<u>44,80,32,542</u>
Adjustments:						
(+) 1,53,56,875	Add: 1) Accrued on hire purchase sales			3,66,07,380		
	ii) Transfer From Registration/Advance agst sales/Allotment			<u>2,63,77,000</u>		<u>6,29,84,380</u>
						51,10,16,922
(-) 2,63,77,000	Less: 1) Refunds made during the year :					
	Plots	89,25,978				
	Buildings	<u>88,41,575</u>		1,77,67,853		
	ii) Transfer to Registration/Advance agst sales/Allotment			<u>4,57,00,690</u>		<u>6,34,68,543</u>
<u>32,50,68,708</u>						<u>44,75,48,379</u>
- : TOTAL : -						



=====

=====

406:76

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
HEAD OFFICE: 248, 249
URAMI, CANTONMENT
NO. 1, 21100, 21107, 21108

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - X

INCOME FROM REIT:

Year ended
31. 3.1987
(Rs.)

P A R T I C U L A R S

Year ended
31. 3.1988
(Rs.)

1,57,83,335

a) Lease Rent:

Comti Najar	60,43,688
Kanpur Road	29,71,247
Sitapur Road	21,21,305
Aliganj	32,86,555
Others	37,36,876

1,61,59,671

b) Rent:

42,90,776

i) Shops:

Janpath (Hazretganj)	36,80,154
Chitwapur	7,51,712
Nakhas	1,17,455
Mahanagar	1,22,176
I. T. College	1,37,920
Others	2,15,137

50,24,554

12,24,301

ii) Buildings:

27,02,302

72,26,856

Add: Outstanding (for the year)

58,647

72,85,503

1,92,98,412



- T O T A L -

2,54,45,174

y6: 77

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
IN AND FOR U.P.
AGENCY: GOSTA GULLY
P.O. 21100, 21101, 21102


LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

SCHEDULE - XI

PREMIUM/OTHER INCOME:

(From shops & Com complex etc)

Year ended 31. 3.1987 (Rs.)	P A R T I C U L A R S.	Year ended 31. 3.1988 (Rs.)
1,59,97,962	a) <u>Income from shops & Com-complex:</u>	
	Nibur Bagh	12,42,800
	Nanda Khera	11,05,553
	Kailash Kunj	19,69,262
	Comti Nagar	32,07,811
	Aliganj	4,79,648
	Others	<u>2,34,625</u>
		82,39,699
53,86,452	b) Income from Premium	9,78,654
<u>2,13,84,414</u>		<u>92,18,353</u>
3,13,814	Less: Refunds	5,34,593
<u>2,10,70,600</u>		<u>86,83,760</u>
=====		=====



: TOTAL : -

1987:78

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
K. A. N. P. M. - 200 001
CHANDI - GORAKHPUR
P.O. - 212002, BILASPUR, JHARKH

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

STATEMENT - XII

OTHER INCOME:

Year ended
31. 3.1987
(Rs.)

P A R T I C U L A R S.

Year ended
31. 3.1988
(Rs.)

2,25,000
6,47,009
16,39,304
2,52,544

13,766

a) Fee, Charges & Penalties etc:

Building Map Fee 4,58,799
Settlement charges (Palwa) 20,75,797
Income from registration of documents 7,29,134
Compounding/penalty for un-authorised constructions 7,56,934
Other Fees/charges 10,76,530

50,97,104

b) Income From Parks:

Residency 58,240
Gautam, Nathi & Nibu Parks etc. 8,38,767

8,97,147

44,593
4,96,054

6,50,000
84,48,664

c) Income From Nazul (Accrued)

25,000

d) Other Miscellaneous Income

44,20,559

1,24,16,934



: TOTAL : -

1,04,00,210

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW

Page: 79

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
BRANCH: GORAKHPUR
P.O. : 20100, 21001, 21002

NOTES ON ACCOUNTS:

(Annexed to and forming part of the annual accounts for the year 1987-88)

1. BRIEF HISTORY OF THE FORMATION OF THE AUTHORITY:

In early sixties housing and development works in Lucknow City were carried out by the Improvement Trust. There after, it started working as 'Development Wing' of Lucknow Nagar Mahapalika from February, 1960 under Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Act, 1959. Subsequently, in view of increasing population of the city and in order to carry out housing and development activities systematically and efficiently, Lucknow Development Authority, Lucknow was formed under notification no. 2897/57-4-0 21 D.A. dated 13.9.74 issued by the State Government. In this way (manner) it was separated from Mahapalika and started working as independent Statutory Board.

2. TRANSFER OF ASSETS & LIABILITIES OF THE DEVELOPMENT WING:

On the formation of the Authority, the entire assets and liabilities of the Development Wing were reported to have been transferred to the Authority. The complete details where-of were, however, not available, for this reason the same were adjusted in the accounts of earlier year only to the extent details were made available.

3. METHOD OF ACCOUNTING:

The accounts have been prepared basically on cash system of accounting excepting a few adjustments which were considered by us necessary viz un paid compensation (including interest thereon) of land acquired, interest accrued on sinking fund investments, amount, receivable against sales made on hire purchase basis, rent in arrear and income from rental etc., have been made on accrual/mercantile basis. The amount of such adjustments have been worked out on the basis of information and explanations furnished to us which were, however, noticed in certain cases to be inadequate/incomplete. The opening balances have been taken on the basis of last Balance Sheet.

4. STORES-STOCK AND CONSUMPTION THEREOF:

In the absence of adequate information, closing Inventory does not include value of certain items. Further, for want of work-wise/scheme-wise detail of stores issued/consumed, the expenses on this account have been allocated among various schemes/works (including capital) in the proportion of the construction expenses incurred thereon during the year.

5. VALUATION OF TRADED PROPERTIES:

In the absence of complete details viz. nos./area of developed and un-developed plots and their cost/value and nos. of completed and in-completed buildings including shops etc. and their cost/value as at the close of the year, closing stock of the said traded properties has been taken in accounts at estimated value.

6. SUNDRY DEBTORS AND LOANS & ADVANCES:

The balance appearing in the sundry debtors and Loans & Advances account are subject to reconciliation with the demand & collection registers and subsidiary ledgers respectively which were reported to be in complete. In addition to this, aforesaid balances are also subject to confirmation from the relative parties.



Contd....2/-

198:80

- 2 -

7. OFFICE AND ADMINISTRATIVE BUILDING:

The main office and administrative building of the Authority is situated in Nazul Building. Pending formal transfer, cost of the same has not been adjusted in accounts. However, expenses incurred on additions/alterations are being capitalized.

8. COMMERCIAL COMPLEX:

The value of commercial complex/shops and parks etc. as shown in the balance sheet does not include cost of land whereupon they are situated since in certain cases, they have been constructed upon nazul land and formal transfer of which, is pending and in other cases cost of land was not readily available with a result aforesaid assets are understated to that extent.

9. FIXED ASSETS (MOVEABLE)

(Plant & Machinery, Equipments and furniture etc.)

In the absence of complete quantitative detail of aforesaid assets, amount shown in the balance sheet is subject to reconciliation with sub-stores ledger, further, since fixed assets have not been physically verified, the discrepancies, if any between physical stock and book balances was indeterminate. Plant and Machinery includes vehicles also. The detail showing no. of vehicles and their cost was not submitted. However, for calculating depreciation on Plant and Machinery separate figure for vehicles and other plant and machinery has been worked out in accordance with the classification made in the classified Abstracts.

10.1 CASH AND BANK BALANCES:

In certain cases balances including deposits with banks were subject to confirmation and/or further reconciliation.

10.2 CONTINGENT LIABILITIES:

The amount of unexpired capital commitments, counter guarantees, claims lodged but not acknowledged as debts, if any and security deposits received in form of P.D.R. from contractors was indeterminate/not readily available.

FOR B. C. JAIN & CO.
Chartered Accountants



K. S. Jaiswani
(K. S. JAIHWANI)
PARTNER.

LUCKNOW.
DATED : 20th Feb., 1990

विषय: टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति लि०को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित ।

Handwritten signature/initials

आख्या: टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति लि० ने अपने पत्र सं०-122/एल.आर.सी/सी.एच.एस./90टि०17. 1.90:प्रतिलिपि संलग्न: द्वारा सूचित किया है कि टाउन प्लानर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० का गठन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरणों तथा उपआवास एवं विकास परिषद में कार्यरत टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्चर्स को तख्त में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में किया गया था। उपरोक्त समिति ने अपने उपरोक्त पत्र के साथ सोसाइटी के संरचना की फोटो स्टेट प्रतिलिपि भी संलग्न की है ।

2. उपरोक्त समिति में वर्तमान में लगभग 60 सदस्य दर्ताये गये हैं। पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि उनकी संख्या आगे चल कर लगभग 100 हो जायेगी । इस प्रकार समिति के सदस्यों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 4 हेक्टेअर भूमि की मांग की गयी है ।

3. शासनादेश सं०-5193/11-5-89-687डी.ए./89 में यह निर्दिष्ट है कि सदस्यों के लिए एक एक भूमि आवंटित की जाय तथा एक सहकारी आवास समिति को परसू से अधिक भूमि न दी जाय । अतः समिति की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिकतम परसू भूमि आवंटित की जा सकती है ।

4. उपरोक्त समिति को परसू भूमि गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण (विनोत कंडा) में उपलब्ध करायी जा सकती है । इस समय द्वितीय चरण की भूमि विवाद में है अतः कुछा देने में कुछ समय लग जायेगा ।

5. शासनादेश सं०-5193/11-5-89-687डी.ए./89टि०24. 10.89 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि आवंटन के लिए सहकारी सेक्टरों की सहकारी समिति को प्रथम प्राथमता दी जाय । अतः उक्त समिति को उपरोक्त शासनादेश में अंकित शर्तों के अंतर्गत भूमि दी जा सकती है । उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

6. शासनादेश सं०-5193/11-5-89-687डी.ए./89टि०24. 10.89 के अनुसार उपरोक्त समिति को भूमि सामान्य आवासीय दर 1 आन्तरिक विकास की दर पर उचित हस्तांतरण पर दी जायेगी। 25 प्रतिशत धानराशि का भुगतान समिति को आवंटन के 30 दिन में जमा करनी होगी तथा शेष 75% धानराशि का भुगतान 90 दिन में करना होगा ।

कृपया प्राधिकरण उपरोक्त समिति को उपरोक्तानुसार शासनादेश में निहित शर्तों के अन्तर्गत भूमि दिये जाने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करें ।

पत्रांक: - 122/एल०आर०सी०/सी०एच०एच०/90

दिनांक: - 17-1-1990

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6-जगदीश चन्द्रबास मार्ग,
लखनऊ ।

विषय: - टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति लि० को गोमती नगर, लखनऊ में भूमि आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

टाउन प्लानर्स कोअपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि० का लखनऊ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट को लखनऊ में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में किया गया था। सोसाइटी का पंजीकरण दिनांक 31-7-1987 को हुआ था जिसकी पंजीकरण संख्या 1176 है। निबंधन प्रमाण-पत्र की कोटोस्टेट प्रति संलग्न है।


पुनर्गत समिति में वर्तमानतक लगभग 60 सदस्य हैं जिनकी संख्या आगे बढ़कर लगभग 100 तक हो जायेगी। इस प्रकार समिति के सदस्यों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 4 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। सोसाइटी द्वारा सतत रूप से यह प्रयास किया जा रहा है कि इसके सदस्यों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही किसी अच्छी योजना के अन्तर्गत भूमि क्रय की जाय। इस सम्बन्ध में समिति की दिनांक 1-8-1987 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में भूमि के आवंटन हेतु प्राधिकरण को अनुरोध किया जाय। तदनुसार सचिव, टाउन प्लानर्स कोअपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी के पत्र संख्या 109/एल०आर०सी०/सी०एच०एच०/89 दिनांक 24-4-1989 प्रतिलिपि संलग्न। द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

.....2/-

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 5193/11-5-89
-687 डी०ए०/89 दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 द्वारा राज्य आवास
नीति के अन्तर्गत आवासीय समस्याओं के निदान हेतु सरकारी सेवकों
की सहकारी समितियाँ जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित कार्यालयों के सरकारी
सेवक हों, को भूमि आबंटन हेतु वरीयता दिए जाने का प्रावधान है।
अतः प्राधिकरण से अनुरोध है कि प्रदेश के सुनियोजित विकास में कार्यरत
टाउन प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स को प्रोत्साहन देने हेतु उक्त शासनादेश
के अनुपालन में विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर योजना में लगभग 4.0
हेक्टेयर भूमि उपयुक्त स्थान पर वरीयता के आधार पर आवंटित करने
की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



17-1-90
रामचरण शर्मा ।
सचिव

टाउन प्लानर्स सहकारी आवास
समिति लि०, लखनऊ ।

निष्ठा राम वर्मा,
तपिव

7, बन्दरियाबाग,
लखनऊ

सं०: 109 / सन 03 आर 03 0 / सी. एच. एस. / 89

दि०: 24-4-1989

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषय:- टाउन प्लानर्स तहकारी आवात समिति लिमिटेड "डेवलपमेंट-इन्वन्वेस्ट" हेतु "भूमि के आवंटन" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको यह जानकर खी होना कि उत्तर प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरण एवं आवात एवं विकास परिषद में कार्यरत टाउन प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स को लखनऊ में आवातीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टाउन प्लानर्स तहकारी आवात समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति का पञ्जीकरण दिनांक: 31.7.1987 को हुआ है और समिति की पंजीकरण संख्या-1176 है। निम्नानुसार प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

उपरोक्त समिति में लगभग 60 सदस्य हैं, जिनके लिए आवातीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के वृत्तियोजित विकास में कार्यरत टाउन प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स को प्रोत्साहन देने हेतु विकास प्राधिकरण की सौजन्य नगर योजना आवात सचिवालय रोड योजना में लगभग 2.5 हे. भूमि उपयुक्त स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।
=====

माधव,
का.प्रती [सन 03 आर 03 0 वर्मा]
तपिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुसार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- तपिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 2- मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

का.प्रती [सन 03 आर 03 0 वर्मा]
तपिव

नियन्त्रण प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (संख्या-11, 1966)
को धारा 28 को उपधारा (1) के अधीन

प्रमाणित किया जाता है कि - **डाउन टून्स कंवेयरी सहकारी**

आवासीय समिति - ति०, - **बखनपुर** - जो सहकारी
समिति के तब में नियन्त्रण करने के लिए की **सुनं आरंभ** तथा क्रम द्वारा

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966)

को धारा-6 के अधीन किया गया प्रार्थना पत्र लोड्ड किया गया और उक्त समिति नियन्त्रण
के लिए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत सभी नियमावली और

नियमों के तहत सामान्य वा विशेष शर्तों तथा उक्त समिति की उपधियों के उपधियों के
अधीन रहने से - **बखनपुर** - ति० को संख्या - **1176**

के तब में नियन्त्रण की गयी।



Handwritten signature and official stamp of the Controller of Co-operative Societies, Lucknow.

विषय: प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित भवनों में लाभान्वित न लिये जाने के सम्बन्ध में,

आख्या: वर्तमान में प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो भवन आवंटित किये जाते हैं उनमें 5x की दर से लाभान्वित किया जाता है तथा ई0डब्ल्यूएच0 के भवनों को छोड़कर सभी प्रकार के भवनों में धनराशि की वसुली 15 वर्षों में की जाती है ।

2. गोमती नगर योजना में 100 भवन पत्रधारियों को निर्मित कराकर दिये गये हैं, पत्रधारियों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा उनके लाभान्वित प्रतीकाल, नहीं लिया गया है ।

3. पत्रधारियों का उदाहरण देते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपने प्रस्तावेदन दिये हैं कि उनके भी लाभान्वित न लिया जाय तथा धनराशि की वसुली 15 वर्षों में न करके 20 वर्षों में की जाय ।

4. उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दि027.10.88 में रहा गया था, जिसमें यह उत्प्रेषण किया गया था कि प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई न कोई सुविधा अलग प्रदान करता है । अतः प्राधिकरण के अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित भवनों में लाभान्वित न किया जाय और धनराशि की वसुली 15 वर्षों के बजाय 20 वर्षों में की जाय ।

5. प्राधिकरण ने अपनी उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय किया "विद्यार्थियों/प्राप्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस निर्णय की तिथि के बाद होने वाले आवंटन पर ही यह लागू होगा" ।

6. उपरोक्त निर्णय के परिणाम में उपरोक्त सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को प्राप्त होती है, जिन्हें भवन दि027.10.88 के बराबर आवंटित किये गये हैं ।

7. इस सम्बन्ध में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उभयपक्षों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावेदन दिये और अनुरोध किया कि यह सुविधा उन कर्मचारियों/अधिकारियों को भी प्रदान की जाय, जिन्हें भवन 27.10.88 के पूर्व आवंटित हुए हैं ।

प्राधिकरण 27-10-88 की बैठक में लिये गये निर्णय का लाभ पूर्व में आवंटित भवनों में प्राप्ति दिये जाने के अनुरोध पर निर्णय लेने की कृपा करें ।

विषय: नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गये ब्लाक के सम्बन्ध में,

आख्या: नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र चौक में चार ब्लाक नीलाम हेतु रखे गये थे। इसमें से ब्लाक नं० एक व दो का नीलाम दि० 17.8.84 को तथा ब्लाक नं० 3 व 4 का नीलाम दि० 5.2.85 को किया गया था। जिनका विवरण निम्नवत् है:

ब्लाक नं०	मु-तल पर ताली की संख्या	उपयोग	न्यूनतम और अधिकतम मूल्य	नीलामी में प्राप्त सर्वाधिक बोली	सर्वाधिक बोली वाली फर्म का नाम	
एक	960	व्यवसायिक कार्यलय/आवासीय	38.70	63.10	श्री विनोद आपोमेंट महा नगर लखनऊ	
दो	1080	-तदेव-	14.75	51.01	श्री आरौही कांस्ट्रक्शन लखनऊ	
तीन	875	वेतमेंट+7	-तदेव-	20.15	39.91	श्री अन्ता स्ट्रक्चर्स प्रा० लि लखनऊ
चार	925	वेतमेंट+7	-तदेव-	21.30	38.76	श्री आरिफ कांस्ट्रक्शन लखनऊ

2. उपरोक्त ब्लाक नं० एक व दो के नीलामी की निम्नलिखित शर्तें थीं :

- {1} सर्वाधिक बोली या 25% हथौड़ा गिरने पर सर्वाधिक बोली को तैयारी के द्वारा देय होगा।
- {2} शेष 75% बोली स्वीकार होने की तिथि से तीन माह के अन्दर देय होगा।

3. ब्लाक नं० तीन व चार की निम्नलिखित शर्तें थीं :

- {1} 10% हथौड़ा गिरने पर,
- {11} 15% सात दिन के अन्दर,
- {111} 25% 90 दिन के अन्दर,
- {1111} 50% 180 दिन के अन्दर,

4. उपरोक्त सभी फर्मों ने 25% धनराशि का नीलामी की शर्तों के अनुसार जमा कर दी थी, परन्तु 75% धनराशि जमा नहीं कर पाये। यह धनराशि जमा न करने के सम्बन्ध में समय समय पर वे अपने प्रत्यावेदन देते रहे। धनराशि जमा न करने के कारण, उपरोक्त फर्मों ने मुख्यतः निम्नलिखित बताया:

- {1} इस क्षेत्र में चारों ओर सब्जी वाले फेरे हैं तथा कुछ अनाधिकृत निर्माण है।
- {11} इस क्षेत्र में घी०रो०ती० का कैम्प है, जिससे कृताओं को आभास है कि यह क्षेत्र घी०रो०ती० वाली नहीं करेगा, जिससे कि

शांतिपूर्ण जीवन वापन नहीं हो सकेगा। चौक के क्षेत्र में अधिकतर धनी व्यक्ति हैं, जो अग्रिम में भुगतान/करना चाहते हैं और वह निर्धारण पूर्ण होने पर कच्चे के समय पूर्व भुगतान करना चाहते हैं।

§ 111 § कुछ क्रेता कच्चे पार्किंग चाहते हैं।

§ 111/§ चौक व्यवसाय का मुख्य केन्द्र नहीं है।

5. यह विषय प्राधिकरण की बैठक दि० 3. 2. 88 में विषय सं० 13 के अन्तर्गत रखा गया। विचारोपरान्त प्राधिकरण ने एक उपसमिति का गठन किया। इस उपसमिति की बैठक दि० 20. 12. 88 को हुई। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

§ 11 § वारो फर्मा/कम्पनियों पर जो धनराशि देय है, उस पर दि० 31. 12. 88 तक नीलामी की शर्तों के अनुसार लूट बकाय लेकर धनराशि निकाल ली जाये।

§ 11 § वारो फर्मा/कम्पनियों से उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली इमारत को ज्वलत तथा धौलपुर स्टोन प्रयोग किये जाने के कारण अतिरिक्त लागत निकाल ली जाये।

§ 111 § ब्लॉक नं० एक इन्टेक की आवृत्ति के कारण 12 मंजिलों से घटकर 9 मंजिल रह गया है। उक्त मूल्य 15050000 के तारतम्य में निकाल लिया जाये।

6. उपसमिति के उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन में सुचना बनाकर उपसमिति की बैठक दि० 22. 9. 89 में प्रस्तुत की गई। इस बैठक में कोई भी श्रावणीय सदस्य नहीं थे, क्योंकि उक्त समय भी श्रावणीय सदस्यनामिका नहीं थे। समिति ने विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिये :

§ 11 § ब्लॉक नं० एक में इन्टेक की आवृत्ति के कारण 12 मंजिल से 8 मंजिल कर दी गई थी। विचर ने नोट 12 मंजिलों की डाली। अतः विचर से यह जानकारी कर ली जाये कि नोट में कुल कितना व्यय हुआ और उसके प्रमाणित अभिलेख मांग लिये जाये। साथही यह भी पूछ लिया जाये कि यदि 8 मंजिल बन बनता तो नोट में क्या व्यय आता ? इतना भी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

§ 11 § यह देख लिया जाये कि व्यवसायिक मकानों की मानचित्र लक्षण विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये गये हैं अथवा नहीं।

§111§ ब्लाक नं० एक में 12 मंजिल से 8 मंजिल तक हो जाने के कारण उसकी लागत गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ₹५०९००० के अनुपात में निकाला गया, जिसको समिति ने अवलोकित किया. समिति ने निर्णय लिया कि ₹५०९००० के अनुपात में मूल्य को कम करना उचित नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा बहुमंजलीय भवनों में मूल्यों को जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अनुसार ही लागत निकाली जाये।

§11/§ प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार बिल्डर्स द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों में धौलपुर स्टोन/आर्सेज का प्रयोग करना बढ़ा है, अतः पहले वाले स्पेशिफिकेशन के अनुसार तथा बाद वाले स्पेशिफिकेशन के अनुसार लागत ठोकर प्रमाण के आधार पर माँगी जाये।

§1/§ बिल्डर्स ने धौलपुर स्टोन को जो लागत सूचित की है, उसका प्रमाण-पत्र उनके प्राप्त कर लिया जाये।

§1/§ सुत धन को बहुतो तुरन्त बिल्डर्स से को जाये।

§1/§ समिति को बताया गया कि बिल्डर्स ने कुछ अतिरिक्त मुँह पर भी निर्माण करा लिया है। अतः इसको लागत निकल कर ले भी जाये। इस सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की/केक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

7. उपरोक्त निर्णय के अनुकूलन में सभी बिल्डर्स से सूचना माँगी गई, परन्तु पुरी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

8. उप समिति के उपरोक्त निर्णयों के क्रम में सं० 6/1/11 के अनुसार ब्लाक नं० एक की लागत निकाली गई है, जिसका विवरण संलग्न है।
(उद्धरण सं० 1)

9. उपरोक्त समिति के निर्णयों की क्रम सं० 6/1/11 के अनुसार समस्त बिल्डर्स से सूचना को बहुतो हेतु कई पत्र भेजे, यद्ये परन्तु किसी बिल्डर्स से धनराशि जमा नहीं की।

10. समिति के उपरोक्त निर्णयों के क्रम सं० 6/1/11 के अनुसार विषय प्राधिकरण की बैठक दि० 3. 10. 89 की विषय सं० 2/2 में रखा गया था। इसमें उप समिति की पुनर्गठित करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया :-

- §1/§ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
- §11/§ सुदय नगर सर्व ग्राम नियोजक, उ० प्र०,

§ 11/1 § श्री बी० के० राठी, सदस्य, लोचिग्रा०,

§ 11/1 § श्री फूल बिहारी रस्तोगी, सदस्य, लोचिग्रा०,

उपरोक्त गैर सरकारी सदस्य अब प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, अतः केवल उपाध्यक्ष, लोचिग्रा० तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ही सदस्य रह गये हैं ।

11. वि०।. 4. 91 तक का बजट ब्याज लगाकर बिल्टर द्वारा विवरण बना दिया गया है, जो संलग्न है (अनु. क्र. 29, 30, 31)।

12. बजट ब्याज न लिये जाने के कारण सन्बन्ध में बिल्टर ने जो कार्य दिये हैं, वे संलग्न हैं, अनुसूचक 'क', 'ख', 'ग', 'घ' ।

13. उपरोक्त बिल्टर्स ने कुछ अतिरिक्त भूमि पर भी निर्माण करा लिया है । इसका क्षेत्रफल निम्नवत् है :

<u>बिल्टर का नाम</u>	<u>अतिरिक्त क्षेत्रफल</u>
1. मे० रीजेन्सी इण्डस्ट्रीज,	70.00 वर्गमी०
2. मे० आर०डी बानसो	111.50 वर्गमी०
3. मे० अरुणा इन्डस्ट्रीज, मे० सी.के.डी. इण्डस्ट्रीज	118.90 वर्गमी०
4. मे० आरिफ इण्डस्ट्रीज	12.70 वर्गमी०

14. इस सन्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि इनके अलावा जो भू-क्षेत्र भी निर्माण के लिये दिया गया था, उन्हें इनके ही आपीनत के कारण भू-क्षेत्र रह गया ।

15. प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना है :

- i. बिल्टर्स से अब तक का बजट ब्याज लिया जायें ।
- ii. बिल्टर्स से जो अतिरिक्त भूमि पर निर्माण करा लिया है, उसकी सार्वजनिक किल कर ले ली जायें ।
- iii. बजट में यह भी इनके ही आपीनत के कारण 12 में जो आठ में जो आने पर अतिरिक्त धनराशि ली जायें ।
- iv. प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार बिल्टर द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवन में पॉल्सुर स्टोन/आर्सेन का प्रयोग करना प

→ अतः पहले वाले स्पेशलिजिडेशन के अनुसार तथा अब वाले स्पेशलिजिडेशन के अनुसार जो अन्तर की धनराशि आती है, उन्का क्रेडिट बिल्टर दिये जाने के सन्बन्ध में,

डाला नं० - १
 फर्म का नाम - मे० शिवलोक अपार्टमेंट्स
 न्यूनतम आरक्षित - २८.७० लाख
 सर्वोच्च बोली की धनराशि - ६३.१० लाख
 ४२.०७ " (विफल हो जाने के कारण सर्वोच्च बोली)
 जीमामी की तिथि - १७-८-८४

क्रम	क्रियत देय नं०	तिथि	धनराशि	जमा करने की तिथि	जमा धनराशि	अवशिष्ट धनराशि	विवरण	टाउट ब्याज २१%	कुल बकाया धनराशि (अवशिष्ट मूल + टाउट ब्याज)
१.	२५%	१७-८-८४	१०,५१,७५०/-	१७-८-८४	१५,७७,५००/-				
२.	७५%	१६-११-८४	३१,५५,२५०/-	१७-१-८५	२,५०,०००/-	२९,०५,२५०/-	₹२९,२९,५००/- पर १७-११-८४ से १७-१-८५ तक २ माह	९२,०३२-५०	
				१२-२-८६	२,५०,०००/-	२१,२९,५००/-	₹२३,७९,५००/- पर १८-१-८५ से १२-२-८६ तक १२ माह २५ दिन	५,३३,९२०-००	
							₹२१,२९,५००/- पर १२-२-८६ से १३-२-८६ तक १३-२-८६ से ३०-४-८५ तक १७ माह	१८,८४,१४०-७८	
									<u>२५,१०,०९३-२६</u>
									<u>४६,३९,५९३-२६</u>

नोट - गट तैयार का विवरण ऊपर है और केवल एक विकल्प मूल्य यदि होना है
 के अनुसार विकलांग जाता है।

नील वाई बा. मनेर

ब्लॉक नं० - 1
 फर्म का नाम - मे० शिवलोक अघाटमेन्ट्स,
 न्यूनतम आरक्षित मूल्य - 28.70 लाख
 सर्वोच्च बोली की धनराशि - 63.10 लाख
 नौलामी की तिथि - 17.8.84

क्रम सं०	क्रियत	देय तिथि	धनराशि	जमा करने की तिथि	जमा धनराशि	अंशिक धनराशि	विवरण	दण्ड का भाग 21%	कुल बकाया धनराशि (अंशिक मूल्य + दण्ड का भाग)
1.	25%	17.8.84	12,91,700/=	17.8.84	15,77,500/=	—	₹035,89,300/-पर 17.11.84 से 17.1.85 2माह	1,25,625.50	
2.	75%	16.11.84	38,75,100/=	17.1.85	2,50,000/-	3330300/-	₹033,39,300/-पर 18.1.85 से 12.2.86 12माह अधिसू	7,49,284.07	
				12.2.86	2,50,000/-	3433200/-	₹030,89,300/-पर 13.2.86 से 30.4.90 50माह 17 दिन	27,33,353.39	

नोट:- चार तल का निर्माण कम हो जाने के कारण जोर निर्णय मूल्य निर्धारित गया है उसका आधार विवेचना के अनुसार किया गया है।

36,08,262.96	66,97,562.92
--------------	--------------

नीचे भाग का ब्योच

डालाक नं० - 1
 फर्म का नाम - मे० मिललोक अपार्टमेंट्स
 न्यूनतम आरक्षित मूल्य - 28.70 लाख
 सर्वोच्च बोली की धनराशि 63.10 लाख
 नीलामी की तिथि - 17.8.84

क्र.सं.	किमत	देय तिथि	धनराशि	ज्या कर के की तिथि	ज्या धनराशि	अंशधन धनराशि	विकल्प	दण्ड कयाज	कुल कयाज धनराशि अंशधन + दण्ड कयाज
1.	25%	17.8.84	15,77,500/-	17.8.84	15,77,500/-				
2.	75%	16.11.84	47,32,500/-	17.1.85	2,50,000/-	94,92,500/-	₹047,32,500/-पर दि० 17.11.84 से 12माह का दण्ड कयाज	1,65,637.50	
3.							₹044,82,500/-पर दि० 18.1.85 से 12.2.86 तक 12माह 25दिनों का दण्ड कयाज	10,05,799.32	
4.				12.2.86	2,50,000/-	42,32,500/-	₹042,32,500/-पर दि० 13.2.86 से 30.4.90 तक 50माह 17दिनों का दण्ड कयाज	37,44,834.33	
								<u>49,16,271.15</u>	<u>91,48,771.15</u>

नोट:- यदि सर्वोच्च बोली की धनराशि में कोई त्रुटि नहीं दिया जाता है तो

नीचे कागज का व्यय लेख

41-अप्रैल '61'

पृष्ठ संख्या: 95

1. क्लॉक नं० - 3
2. फर्म का नाम - प्रो आइन्सा स्टूडियोस एंड प्रिण्टिंग
3. न्यूनतम आरक्षित मूल्य - 20.15 लाख
4. सर्वोच्च सीली की धराराशि - 39.91 लाख
5. नीलामी की तिथि - 5.2.85

क्रम नं०	क्रियत देय तिथि	धराराशि	जमा करने की तिथि	जमा धराराशि	अधीन धराराशि	विवरण	दण्ड क्या ज 2 1/2 %	कुल बकाया धराराशि {अधीन कुल + दण्ड क्या ज}
1	10% - 5.2.85 1 हफ्ता गिरने पर	3,99,100/-	5.2.85	3,99,100/-				
2	15% 3.3.85 17 दिन के अन्दर	5,98,650/-	6.2.85 12.2.85	3,50,000/- 2,50,000/-				
3	25% 28.5.85 90 दिनों के अन्दर	9,97,750/-	7.2.88 15.2.88 26.4.88 25.3.89	2,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 5,00,000/-		9,96,400/- पर 29.5.85 से 7.1.88 31.25 गट 7,96,400/- पर 08.1.88 से 15.2.88 1.27 गट 5,96,400/- पर 16.2.88 से 26.4.88 2 गट 10 दिन 3,96,400/- पर 27.4.88 से 25.3.89 11 गट	5,44,906.25 17,421.25 24,305.35 76,307.00	
4	50% 24.8.85 180 दिन के अन्दर	1995,500/-	-	-	18,91,900/-	19,95,500 पर 24.8.85 से 25.3.85 43 गट 18,91,900/- पर 26.3.89 से 30.4.90 13 गट 5 दिन	1501,613.75 435,842.70	44,92,303.30

नीलु बाणु का आवेक

4/1/2005 5

पृष्ठ संख्या: 96

1. फर्म का नाम : गे0 भाटिया कान्त0
2. न्यूनतम आरक्षित मूल्य: ₹021.30 लाख
3. सर्वोच्च मूली: ₹038.76 लाख
4. नीलामी की तिथि: 5.2.85

क्रमांक	किरात	देय तिथि	धनराशि	जमा करने की तिथि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि	दिनांक	दण्ड रकमाज 21%	कुल रकमा या धनराशि {अवशेष मूल+ दण्ड रकमा जर्}
1.	10%	5.2.85	3,87,500/-	5.2.85	4,00,000/-				
2.	15%	3.3.85 {7दिन के अन्दर}	5,81,400/-	1.3.85	5,69,000/-				
3.	25%	28.5.85 {90दिन के अन्दर}	9,69,000/-			9,69,000/-	₹09,69000/- अर् 29.5.85 से 31.3.90 = 58 MTR	985535/-	
4.	50%	24.8.85 {180दिन के अन्दर}	19,38,000/-			17,38,000/-	₹019,38,000/- अर् 25.8.85 से 30.4.90 = 56.25MTR		1907718.75
						<u>29,07,000/-</u>			<u>2891253.75 5798253.75</u>

M/S ARCHI INDUSTRIES LTD

1. इस क्षेत्र के चारों ओर लगनी वाली कैन्सेट हैं तथा कुछ अनाधिकृत निर्माण है
2. इस क्षेत्र में प्री०प०सी० का पैम्ब है, जिससे प्रेताओं को आशंका है कि यह क्षेत्र प्री०प०सी० वाली नहीं करेगा, जिससे कि आन्तिकुर्ण जीवन साधन नहीं हो सकेगा । यदि के क्षेत्र में अधिकतर कमी व्यवस्थित हैं, जो उद्दिष्ट में सुगमता नहीं करना चाहते और यह निर्माण पूर्ण होने पर इसके के समय पूर्ण सुगमता न करना चाहते हैं ।
3. कुछ प्रेता क्लर्क या किंग चाहते हैं ।
4. यदि व्यवस्थापक या मुख्य सेन्ट्र नहीं है ।

Committee
V.C.
Secy
CTCP

JUSTIFICATION OF REQUEST FOR WAIVER OF PENAL INTEREST

1. Block No. 1, in question was purchased by us in the month of August 1984 in an open auction for Rs.63.10 lacs as against the reserved price of Rs.28.70 lacs and approval was accorded on 22nd August 1984.
2. Building plans for technical N.O.C. were submitted on 25/4/85.
3. L.D.A. agreed to hand over the possession to respective builders of the complex however, after considerable lapse of time.
4. The booking of the block were opened and responded well by the market. However the delay in handing over the possession and hence, the start of construction resulted into loss of confidence of buyers, particularly on account of their apprehension that possession of spaces booked by them will not be handed over timely. This caused the heavy cancella-tion and negated the effect of original booking campaign.
5. Soil testing and preparatory work for laying and designing the founda-tion was started after the assurance from LDA for granting the techni-cal N.O.C. in due course of time. It is regretted that Technical N.O.C. was granted to two of the builders of the complex only. This also imparted the impression as if our building is being constructed, unauthorised.
6. During the foundation work, some old historical structures were noticed in one of the blocks at a depth of 3 to 4 fts. of the ground level. Being in close proximity of the historical monuments, the local press considered these structures as old monuments of Archeological importance. As a result, the work was to be abandoned on account of public pressure.
7. The complex became a sight seeing spot of historical importance for almost a year, with all sorts of rumors and stories circulating around. It also resulted into fear in minds of public at large that the place is likely to be haunted by spirits.
8. The work was resumed only after all these rumors and stories died. However, the effect of initial launching of booking campaign was almost negated by now, too. A fresh booking campaign was required to be launched resulting into the loss of time and resources.
9. The construction work was again started to complete the building at the earliest. Efforts for construction and promoting the sales were afoot when the problem of INIACH came in. It hampered the work progress and gave a negative publicity to the complex.
10. 16. INIACH further desired and LDA also approved that the exterior of the building in the complex shall be stone finished to match the complex with its surroundings i.e. historical monuments and buildings of Lucknow This has forced us to fix Dolpur stone on the exterior of the building, costing us Rs.7,00,000/- additionally. This additional cost was never contemplated at the time of auction.
11. In spite of the repeated assurance from LDA, the external development of the complex could be taken only in the month of January 1989. The encroachment in the form of unauthorised Chuggi Colony and Subzi Mandi still exists. The unauthorised occupation of the land in front

of the complex has already resulted into a negative response from many of the institutional buyers who were of the opinion that the encroachment will never be removed. This has also resulted into a negative effect on sales in the complex.

12. The nearest electricity supply station which was originally intended to meet the electricity requirement of the complex has also become inadequate as confirmed by LESU Authority. An alternate source of electricity supply is yet to be found out and therefore the prospective buyers apprehend that the electricity supply will not be available to them for a period of atleast one year, even after the building is completed and possession is taken by them. This is also making them hesitant in taking possession and abide with the payment terms agreed to.

In view of the aforesaid reasons kindly reconsider and waive of the imposition of penal interest.

M/S ARIF INDUSTRIES LTD.

31/12/85 STP

JUSTIFICATION OF REQUEST FOR WAIVAL OF PENAL INTEREST

1. Block No.6 in question was purchased by us in the month of February 1985 through an open auction for Rs.38.76 lacs as against the Reserve price of Rs.21.30 lacs and approval was accorded on 25.2.85.
2. Building plans for technical no objection certificate was submitted on 08.01.1986 and also request for possession of the block.
3. Vide letter dated 07.06.1985 again request for possession and technical No objection certificate. Subsequently on 16th August 1985 an understanding was arrived at between Lucknow Development Authority and Builders for delivering possession.
4. Possession was delivered through letter on papers on 31.08.1985.
5. Physical possession could not be delivered as there was discrepancy in the layout plan and the existing site which was pointed out vide our letter dated 05.10.1985.
6. Even after the issue of possession letter dated 31, March 1985 we could not get the possession as pointed out vide our letter dated 24th October 1985. The bookings for this block were opened with initially good response from the buyers hoping that as per the terms of auction we would be getting the possession for starting the work. Delay in possession and non availability of technical no objection certificate were the main reasons for not starting the work resulting in low sales and even cancellation of earlier bookings.
7. After lot of persuasion we could succeed in getting the possession as on 30.12.1985 but the actual ground level was not available as intimated vide our letter dated 4.12.1985. Similarly the technical No objection certificate could not be issued to us till then as is indicated in our letter dated 27.01.1986.

8. The formalities regarding actual @ ground level was still incomplete as indicated vide our letter dated 04.02.1986. Again on 17.02.1986 we pleaded our case in writing for marking of Ground level and technical No objection certificate for starting the work.
9. Soil testing and preparatory work for laying and designing the foundation was started in March 1986 after the assurance from Lucknow Development Authorities for granting the technical no objection certificate in due course of time.
10. Immediately there after some old structures were noticed at a depth of 3-4 feet of the ground level which were @ duly noticed by the local residents and in turn became public as also were reported in the press as old monuments of Archeological importance.
11. Subsequently the excavation work on foundation which was yet to be started fully came towards a stand still due to the notices served on us by Lucknow Development Authority.



1.1 (i) Grounds for request for waiver of penal interest

- (a) The block was taken by us in open auction on 5.2.85 for Rs. 30,91,000/- whereas the MRP was Rs. 20,15,000/-.
- (b) Approval of our bid was conveyed on 25.2.85.
- (c) We had submitted the Architectural Plans for approval on 22.3.85 and had also deposited the requisite fee amounting to Rs. 7,710/-, inter-alia, requesting to accord permission to go ahead with the construction programme as verbally agreed to by the worthy Vice-Chairman.
- (d) As advised by the Joint Secretary, we also submitted a signed agreement on stamp paper on 13.4.85.
- (e) Despite all this, neither the possession of land nor permission to start the work was given. Even preliminary work of soil testing was stopped by the Executive Engineer-6 on 22.3.85.
- (f) There was insertion in the Press on 26.6.85 that some old residents were contemplating to file a Writ Petition against the L.D.A. for the illegal take-over of the Park. Our letter No. LD/A/25/3888 dt 26.6.85 referred. This hampered our programme as well as dampened the sales.
- (g) We again represented on 6.4.85 to expedite the requisite permission.
- (h) On 26.8.85, Mr. Verma Junior Engineer LDA. gave written instructions not to carry out any activity at site till the entire bid amount is deposited.
- (i) Ultimately, the possession was given to us on 7.9.85.
- (j) On 21.1.86, 'Show Cause Notice' was served by the Additional Secretary asking us to produce approved plans.
- (k) On 12.2.86, J.L. (S.P.O.) along with some police constables came to the site and threatened our workers.

Regd. Office : 11/50, Bagh Muzaffar Khan, AGRA
Divisional Offices : 28/2, Sanjay Place, AGRA
FF, Pragati Kendra, Aliganj, LUCKNOW

Tel. : 63114
Tel. : 63406
Tel. : 71921/71029



- (l) On 14.2.86, we were asked to obtain N.C.C. from Fire Officer which was complied with on 18.2.86. Finally, permission to go ahead was given by the Executive Engineer (Building) on 20.2.86 vide his letter No. B-143/LDA/CH. HENCE MORE THAN ONE YEAR WAS LOST.
- (m) A news item in the Press relating to discovery of some old structure in an adjoining block invited the Archaeological Department to step in and stop work of all the blocks in the area which had demoralising effect on our sales and rumours and stories spread by vested interests in a vocal manner definitely played a negative role to affect the project of the entire Neebu Bagh Blocks.
- (n) When the construction was somehow progressing, objection by INTACH came as a bolt from the blue. This greatly demoralised us and our buyers who became reluctant to pay us the instalments of their dues and many even came forward for cancellation of their earlier bookings.
- (o) L.D.ⁿ. had not been earnest and enthusiastic in the development of the area and have not done any thing, so far, for the removal of the encroachments in and around the area.
- (p) Position of supply of power to the Blocks is also un-certain so far. Drainage of sewage system does not appear to have been decided as yet.
- (i) The work at the instance of INTACH was stopped on 6.4.86. As desired by INTACH, we have to provide Dholpur stone on the external surfaces which involves an additional expenditure of Rs. 12.61 lacs to us as projected vide our letter dated 12.4.86.

From the above facts and figures, you will kindly appreciate that the sailing has not been smooth right from the beginning and we have been made to suffer on account of delay in handing over possession, in conveying your permission to start the work, other hold-ups which retarded the progress of work and also the requirement of INTACH entailing extra time and money in external finishes. All these factors substantively contributed towards retarding the progress of work, shaking confidence amongst our buyers leading to delay in payment by them, and cancellation of bookings and demobilisation of our men and

Regd. Office : 11/80 Bagh Muzaffar Khan, AGRA
Divisional Offices : 28/2, Sanjay Place, AGRA
FF, Pragati Kendra, Alliganj, LUCKNOW

Tel. : 63114
Tel. : 63406
Tel. : 71921/71029

material and re-mobilisation, involving delay ~~and~~
apart from financial constraints.

विषय: गोमती नगर योजना में मे० एशियन होटल्स लि० को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।

आख्या: दि० 06.9.86 को हुई प्राधिकरण की बैठक के विषय सं० 12 में लिये गये निर्णय के अनुसार मे० एशियन होटल्स लि० नयी दिल्ली को 10 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र दि० 10.9.86 को निर्गत किया गया था । लिये गये निर्णय के अनुसार मे० एशियन होटल ने 25% धनराशि रु० 45.53 लाख जमा कर दी थी तथा शेष धनराशि तीन वार्षिक किश्तों में 16% वार्षिक ब्याज सहित, इच्छा दिये जाने के पश्चात् देय थी ।

2. उपरोक्त होटल ने अपने पत्र दि० 19.9.86 में यह उल्लेख किया था कि आवंटित भूमि की साइट को उन्होंने इस आश्वासन पर पसन्द किया कि लामार्ट कालेज के निकट गोमती नदी के ऊपर पुल बनाया जायेगा । इस पत्र का उत्तर इस कार्यालय द्वारा यह दिया गया था कि इस पुल का निर्माण उ०प्र० शासन के विचाराधीन है और प्राधिकरण अपनी ओर से इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता, परन्तु उपरोक्त होटल लगातार पुल के निर्माण के सम्बन्ध में लिखता रहा । दि० 26.12.88 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में होटलवालों की एक बैठक हुई थी जिसमें मे० एशियन होटल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उक्त होटल के प्रतिनिधि ने उक्त बैठक में अवगत कराया कि उनके द्वारा होटल का निर्माण इस लिए प्रारंभ नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो भूमि ली थी, उसमें गोमती नदी पर दिलकुशा के निकट पुल के निर्माण की शर्त रखी थी और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त होटल द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय और इस बीच माननीय मुख्य मंत्री की ओर से गोमती नदी पर दिलकुशा के निकट पुल के निर्माण हेतु केन्द्रीय रेल मंत्रालय को लिख दिया जाय । इन निर्णय के अनुसार कार्यवाही सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को उपस्थित थी। उपरोक्त होटल द्वारा स्मरण कराये जाने पर इस कार्यालय के पत्र दि० 10.7.89 द्वारा सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को पुल के निर्माण के सम्बन्ध में लिखा गया था, परन्तु अभी तक पुल का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है ।

क्रमशः.....2

P.T.O.

विषय: सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "एव" में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 100भिनी मध्यम आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य

आख्या: सचिव, भारतीय स्टेट बैंक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ने अपने पत्र दि० 11.10.89 द्वारा सीतापुर रोड योजना के उपरोक्त सेक्टर में 100भिनी मध्यम आय वर्ग के भवन स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित कराने का अनुरोध किया है।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि उपरोक्त सहकारी समिति को सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए", "बी", "सी" एवं "डी" में लगभग 700 भवन स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित कराकर दिये जा चुके हैं। इन भवनों में से अधिकतर भवनों पर कच्चा उक्त समिति के सदस्यों द्वारा किया जा चुका है। उक्त समिति भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की समिति है और भारतीय स्टेट बैंक अपने अधिकारियों को भवन क्रय करने हेतु ऋण देता है। अतः अधिकारी उक्त समिति के मध्यम से ल० वि० प्रा० से भवन क्रय करते हैं।

3. उपरोक्त प्रकार के एक भवन की अनुमानित निर्माण लागत ₹ 1,29,500/- आती है। इसके आधार पर विक्रय मूल्य निकाला गया है। एक भवन का अनुमानित विक्रय मूल्य ₹ 1,90,000/- आता है। इस प्रकार 100 भवनों की अनुमानित निर्माण लागत ₹ 1,29,50,000/- तथा अनुमानित विक्रय मूल्य ₹ 1,90,00,000/- आता है। भवनों में एक हांडल रूम, दो बेड रूम, दो टायलेट, एक किचन तथा सीमा दीवार के निर्माण का प्रस्ताव है।

4. उपरोक्त प्रकार के भवनों के निर्माण से प्राधिकरण को 12% प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त 5% लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार यह योजना वित्तीय दृष्टिकोण से प्राधिकरण के लिए लाभप्रद है।

5. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि शासनादेश सं०-3868/11-5-89 दि० 17.3.89 द्वारा भूमि की उपपतब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः चार मंजिले भवनों का निर्माण किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि नगर के मुख्य भाग से इतनी दूर कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति दो मंजिले से अधिक के भवन लेने के इच्छुक नहीं है। उपरोक्त समिति को दो मंजिले भवन निर्मित करके देने के लिए कहा गया है जिस पर उपरोक्त समिति ने अपनी सहमति दे दी है।

6. उपरोक्त समिति की भांति ही अन्य सरकारी विभाग/तादात्मिक

क्रमः:....2

3. उपरोक्त होटल को अनुबंध निष्पादन के सम्बन्ध में समय-समय पर लिखा जाता रहा परन्तु उपरोक्त होटलने उपरोक्त कारण से अनुबंध निष्पादित नहीं किया ।

4. प्रारंभ में उपरोक्त होटल को 10 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार।। बाद में उपरोक्त होटल ने 5 एकड़ भूमि लेने की इच्छा व्यक्त की, तदनुसार उन्हें इस कार्यालय के पत्र दि०23.9.88 द्वारा सूचित कर दिया गया कि 10 एकड़ से कम करके 5 एकड़ भूमि दी जा सकती है, परन्तु जो 25% धनराशि जमा है, उसमें से कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी और इस प्रकार अधिक जमा धनराशि का समायोजन आगामी किस्तों में कर लिया जायेगा । इस पर उपरोक्त होटलने अपने पत्र दि०30.9.88 द्वारा सहमति दे दी थी।

5. सितम्बर 86 में उपरोक्त होटलको उस समय प्रचलित भूमि की व्यवसायिक दर ₹0450/-प्रति वर्ग मी० पर भूमि आवंटित की गयी थी । इस समय भूमि की व्यवसायिक दर ^{₹ 1500/-} ~~₹ 0450/-~~ प्रति वर्ग मी० है। अतः इस मामले को अधिक समय तक लंबित रखने में प्राधिकरण को आर्थिक हानि हेतु स्वाभाविक है ।

प्रस्ताव

उपरोक्त आख्या के परिपेक्ष्य में यह प्रस्ताव है कि आवंटन निरस्त कर दिया जाय और बिना कटौती तथा बिना ब्याज के जमा 25% धनराशि ₹045.53 लाख वापस कर दी जाय। प्राधिकरण कृपया अनुमोदन करना चाहें ।

VC - may speak to
Secy (A) / 3/22/84
Baker on 12/22/84
MS. J.

no action
1/20/84

108

प्रस्ताव संख्या:- 15

विषय:- रायबरेली रोड योजना के रुचि खण्ड भाग-2 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

रुचि खण्ड भाग-2 का पूर्व में अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे के आधार पर एक विन्यास मानचित्र तैयार किया गया था जो औपचारिक रूप से उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृत था। इस योजना के अर्न्तगत एच.डी.एफ. सी द्वारा स्वीकृत के आधार पर 20सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण, स्वीकृत ले-आउट के आधार पर प्रारम्भ किया जा चुका है, लेकिन यह क्षेत्र चूँकि काफी असमतल था तथा मौके पर बड़े-बड़े गड्ढे थे। अतः मानचित्र के अनुसार भूखण्ड/भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एच.डी.एफ. सी ने मौके के अनुसार प्लान की माँग अभियंत्रण विभाग से की है जिसके लिये अधिशासी अभियंता-12 तथा मुख्य अभियंता ने स्थल के अनुसार इडजेस्टमेंट प्लान की माँग की है। इस स्थल का निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा मौके के अनुसार अब एक इडजेस्टमेंट प्लान तैयार कर दिया गया है। अतः प्राधिकरण के समक्ष विषय सूचनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव संख्या: -16

विषय:- गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड एवं विराम खण्ड तथा नार्दन रेलवे लाइन के बीच में स्थित भूमि के विन्यास मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विकास प्राधिकरण की कुछ भूमि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के अर्न्तगत स्थित है जो विवाद रहित है। गोमती नगर योजना के अर्न्तगत कतिपय विवाद उत्पन्न हो जाने से द्वितीय चरण का कार्य बंद है जिससे कि प्राधिकरण के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा प्राधिकरण के कार्य को गति देने के लिये इस क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का एक विन्यास मानचित्र अभियंत्रण खण्ड द्वारा प्राप्त सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें शासन के निर्देशों के अनुपालन में ही भवन/खण्ड का आकार रखा गया है।

अतः विन्यास मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय विन्दु है कि प्राधिकरण द्वारा यदि इसे बहुमजिले भवन तैयार किये जाते है तो इसकी माँग सामान्य जनता में न होने के कारण इनका विक्रय होना सम्भव नहीं हो पायेगा जिससे निर्माण होने के पश्चात इन भवनों के रिक्त होने की सम्भावना रहेगी जिससे प्राधिकरण की काफी बर्ति हो सकती है। अतः प्राधिकरण से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए कृपया एक मजिले भवन बनाने की स्वीकृति देने की कृपा करें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 17 मार्च, 1990

जो अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण / आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

के कक्ष में हुई का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1. श्री रमेशा चन्द्र,
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ । अध्यक्ष
2. श्री दिनेश राय,
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर सहायपालिका । उपाध्यक्ष
3. श्री एस० सी० बहुखण्डी,
संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, आवास विभाग । सदस्य
4. श्री आर०एम० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, वित्त विभाग । सदस्य
5. श्री जे० पी० भार्गव,
मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश । सदस्य
6. श्री आशुतोष त्रिपाठी,
मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ । सदस्य
7. श्री वी० एन० उपाध्याय,
उप-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद । विशेष आमन्त्री
8. श्री एस० एम० जाफ़र,
महाप्रबन्धक जल संस्थान, लखनऊ । विशेष आमन्त्री

अन्य उपस्थित:

1. श्री के० के० उपाध्याय,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

- विषय संख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 25 जनवरी, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
- निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 25 जनवरी, 1990 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
- विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 25 जनवरी, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
- निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 25.01.90 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-
- § 1§- उप-समितियों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करके उनकी बैठकें जून के अन्त तक बुलाकर निर्णय कराया जाये ।
- § 2§- प्रस्ताव संख्या-14 के सम्बन्ध में हडको के आबजुरवेशन्स की प्रति मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को उपलब्ध करा दी जाय ।
- § 3§- प्रस्ताव सं0-19 द्वारा ला-प्लास के सम्बन्ध में निस्तारण शीघ्र कराया जाय तथा स्थगनादेशा निरस्त कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाय ।
- § 4§- अनुपूरक विषय सं0-1 के सम्बन्ध में आडिट आब्जेक्शन्स का हवाला देते हुए अध्यक्ष की ओर से पत्र शासन को भेजा जाय ।
- § 5§- अनुपूरक विषय सं0-4 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण की बैठकों के निर्णयों के अनुपालन में तत्परता बरती जाय । अगली बैठक होने के समय ही अनुपालन पर बल दिया जाना आपत्तिजनक है ।
- विषय संख्या: 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 1990-91
- निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्देशों के साथ मूल बजट वित्तीय वर्ष 1990-91 यथावत् पारित किया गया :-
- § 1§- लीज़ रेन्ट तथा हायर परचेज़ इन्स्टालमेन्ट्स के सरियर के सम्बन्ध में धनराशि फिर से चेक कर ली जाय ।
- § 2§- किराये के भवनों की बिक्री के सम्बन्ध में शासन को प्रकरण निर्देशित है, जिस पर अन्तिम निर्णय न प्राप्त होने के कारण लगभग एक करोड़ का घाटा रेन्ट के मद में हो रहा है । शासन से शीघ्र निर्णय का अनुरोध किया जाय ।

§ 3§- इन्दिरा गांधी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के मद् में शासकीय बजट देखकर उसमें दर्शाई गई धनराशि अंकित की जाय ।

- विषय संख्या: 4 अपरइंडिया कूपर पेपर मिल्स लि० की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में आखया ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले की पूरी स्थिति पर विचार करनेमें अधिक समय की आवश्यकता है । अतः इस मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
- विषय संख्या- 5 अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में ।
- निर्णय : विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि संस्था से उनका प्रोजेक्ट एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करके प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
- विषय संख्या : 6 एम्युजमेंट पार्क को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस विषय पर पूर्व बैठक में निर्धारित शर्तें यथावत् रखी जायं तथा वर्तमान दरों पर भुगतान 6वर्षों में वसूल किया जाय ।
- विषय संख्या: 7 स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथावत् स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 8 कल्याण करोति संस्था को नेत्र चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु निम्न सदस्यों की उपसमिति गठित की गई :-
- § 7§ - उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण । अध्यक्ष
- § 2§- मुख्य चिकित्साधिकारी या उनके प्रतिनिधि सदस्य
- § 3§- निदेशक, हरिजन समाज कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
- § 4§- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण । सदस्य-सचिव

- विषय संख्या: 9 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 1987-88
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 1987-88 स्वीकार की गई ।
- विषय संख्या: 10 टाउन प्लानर्स सहकारी आवास समिति को गोमतीनगर योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : समयाभाव के कारण विषय स्थगित किया गया ।
- विषय संख्या: 11 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित भवनों में लाभांश न लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के साथ मामला आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
- विषय संख्या: 12 नीबू बाग व्यवसायिक केन्द्र में नीलाम किये गये ब्लाक के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला पहले उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । तत्पश्चात् उप-समिति की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।
- विषय संख्या: 13 गोमती नगर योजना में मे० एशियन होटल्स लि० को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : समयाभाव के कारण विषय स्थगित किया गया ।
- विषय संख्या: 14 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 100 मिनरी एम०आई०जी० के भवनों का निर्माण कार्य ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराया जाय ।

विषय संख्या: 15

राय बरेली रोड योजना के रुचि खण्ड भाग-2की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त मूकै के अनुसार ले-आउट विन्यास मानचित्र अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या: 16

गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड एवं विराम खण्ड तथा नार्दन रेलवे लाइन के बीच में स्थित भूमि के विन्यास मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त विन्यास मानचित्र का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि भवनों का निर्माण दो मंजिला रखा जाय ।

EO/-

१ के० के० उपाध्याय १
सचिव

EO/-

१ दिनेश राय १
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

EO/-

१ रमेश चन्द्र १
अध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।